रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240905
CG-DL-E-09122022-240905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944
No. 633] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

## राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

**फा. सं. 3-34/2021/NCH/HEB/CC/10758.—** राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 1 तथा धारा 55 की उप-धारा (2) के उपबंधों (एच), (आई), (क्यू), (एस) तथा (टी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) बी.एच.एम.एस. विनियम, 1983 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए लोप किया गया है, आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियमों का निर्माण किया गया हैं:-

**1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम - बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम-2022 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2 परिभाषाएँ** :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, अधिनियम, 2020 (2020 का 15);

(ख) "अनुलग्नक" का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक अनुलग्नक है;

(ग) "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट है;

(घ) "आयोग" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 3 के तहत् गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग;

(ङ) "चयनात्मक" का अर्थ है छात्र की शैक्षिक अभिव्यक्ति को समृद्ध करने के लिए तैयार किए गए अध्ययन का एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम।

(2) यहां इस्तेमाल किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

**3. बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम :**

बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.), क्षेत्र में समकालीन प्रगति के साथ, होम्योपैथी का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातकों को तैयार करेगा, जो व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के ज्ञान के पूरक होंगे तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के देखभाल की सेवाओं में एक कुशल समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले चिकित्सक के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे।

**4. प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और प्रवेश का तरीका : -**

(1) बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम पात्रता निम्नानुसार होगी :

(क) उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ 10 + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सामान्य वर्ग से संबंधित छात्रों के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी में एक साथ न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों;

बशर्ते कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के संबंध में, उक्त परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य श्रेणी के मामले में पैंतालीस प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे;

(ख) 10+2 स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी इस प्रवेश के लिए विचार-योग्य नही होगा।

(ग) ओपन स्कूल से या निजी उम्मीदवारों के रूप में 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) किसी भी उम्मीदवार को बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.)पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है;

(2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, जिसका नाम राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) होगा और यह परीक्षा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित एक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

बशर्ते कि विदेशी नागरिक उम्मीदवारों के मामले में प्रवेश के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अहर्ता को मंजूरी प्रदान की जाएगी और विनियम 4 का उप-विनियम (2) इसमें प्रयोज्य नहीं होगा।

(3) स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह- प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से कम प्राप्त करने वाले किसी उम्मीदवार के उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत से कम नही होगा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का

49) के तहत निर्दिष्ट विकलांगों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के मामले में 45 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 40 प्रतिशत से कम नही होगा।

परंतु यह और कि आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से संबंधित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, आवश्यक न्यूनतम अंक को कम कर सकता है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक, केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची के साथ-साथ पात्र उम्मीदवारों की राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और केवल उक्त योग्यता सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाता है।

(5) सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटे के लिए पंद्रह प्रतिशत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटे के लिए पचासी प्रतिशत होगी। :

बशर्ते कि -

क) सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय कोटा सरकारी और निजी दोनों के लिए सौ प्रतिशत होगा;

ख) जिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पहले से ही अखिल भारतीय कोटे की सीटें पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, वे उस कोटा को बनाए रखना जारी रखेंगे;

ग) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत क्षमता का पांच प्रतिशत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर निर्दिष्ट विकलांगता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

**स्पष्टीकरण**- इस खंड के उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित निर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट "ए" में निर्दिष्ट है और होम्योपैथी में निर्दिष्ट विकलांगता के साथ किसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार की पात्रता परिशिष्ट "बी" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी तथा यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटा की काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, का होगा।

(7) (क) अखिल भारतीय कोटे के तहत सीटों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी;

(ख) सभी सरकारी और निजी दोनों कोटि के डीम्ड विश्वविद्यालयों की सभी शत प्रतिशत सीटों के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नामित प्राधिकरण द्वारा, आयोजित की जाएगी।

(8) प्रवेश निम्नानुसार लिया जाएगा।

क) विदेशी नागरिकों को छोड़कर केवल काउंसलिंग के माध्यम से;

ख) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके के अलावा, किसी अन्य माध्यम को मंजूरी नहीं दी जाएगी और

विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके छात्रों को प्रवेश देने वाले किसी भी संस्थान को आगे के शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रवेश लेने की अनुमति से वंचित कर दिया जाएगा;

ग) संस्थानों को, प्रवेश के लिए नियत किए गए छात्रों की सूची के सत्यापन के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, प्रवेश के लिए कटऑफ तिथि पर शाम छह बजे या उससे पहले प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करनी होगी;

घ) चिकित्सा संस्थान उन उम्मीदवारों (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) के प्रवेश को मंजूरी देंगे जिन्हें काउंसलिंग (केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से आबंटित किया गया है।

(9) कोई भी उम्मीदवार जो इस विनियम के उप-विनियम (3) के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(10) कोई भी चिकित्सा संस्थान प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(11) प्राधिकारी या चिकित्सा संस्थान, जो इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, अधिनियम के अनुसार विहित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(12) चिकित्सा संस्थान, आयोग को छात्रों के प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर उनके द्वारा भर्ती किए गए छात्रों की संख्या के बारे में सूचना भेजेंगे और आयोग किसी भी समय कॉलेजों द्वारा विनियम के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने का सत्यापन कर सकता है।

5. **बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम की अवधि –** निम्नलिखित तालिका में विहित के अनुसार बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष और छह महीने की होगी, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

**तालिका-1**

| **क्रम संख्या** | **बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| (1) | **(2)** | (3) |
| 1. | प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | अठारह महीने |
| 2. | द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | बारह महीने |
| 3. | तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | बारह महीने |
| 4. | चतुर्थ(अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | बारह महीने |
| 5. | अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप | बारह महीने |

6. **सौंपी जाने वाली डिग्री -** उम्मीदवार को सभी परीक्षाओं को पास करने और निर्धारित अवधि में अध्ययन के

निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने और बारह महीने से अधिक की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के पूरा होने के बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

**7. अध्ययन की रूपरेखा -** बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रम और चयनात्मक शामिल होंगे और अध्ययन की रूपरेखा का पालन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

(1) **मुख्य पाठ्यक्रम** : -

क) प्रवेश के बाद, छात्र को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के माध्यम से कम से कम 10 कार्य दिवसों, जो 60 घंटे से कम नहीं होगा और हर दिन 'कॉन्टेंट फॉर फाउंडेशन कोर्स' के आधार पर छह घंटे शामिल हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य अगले पांच साल और छह महीने के लिए भर्ती होने वाले नए छात्र को होम्योपैथिक प्रणाली और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए आवश्यक कौशल की जानकारी प्रदान करना है।

ख) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के दौरान, होम्योपैथी के छात्र होम्योपैथी का इतिहास सीखेंगे, दुनिया भर में होम्योपैथिक विज्ञान के विकास के साथ उन्मुख होंगे, पारस्परिक संचार कौशल में सुधार की समझ, तनाव और समय का प्रबंधन, बुनियादी जीवन समर्थन और प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ अनुलग्नक-I में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

ग) पहले व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शैक्षणिक घंटे दो हजार एक सौ छह(2106) से कम नहीं होंगे, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे व्यावसायिक सत्र के लिए, प्रत्येक पेशेवर सत्र में न्यूनतम एक हजार चार सौ चार(1404) घंटे का शिक्षण पूरा करना आवश्यक है।

घ) शिक्षण की निर्धारित अवधि और अपेक्षित गतिविधि को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं।

**स्पष्टीकरण** - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए

(क) "व्याख्यान" का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण अर्थात कक्षा शिक्षण

(ख) गैर-व्याख्यान में व्यावहारिक या नैदानिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण शामिल हैं और प्रदर्शनात्मक शिक्षण में छोटे समूह शिक्षण या ट्यूटोरियल या सेमिनार या संगोष्ठी या असाइनमेंट या रोल प्ले या ड्रग पिक्चर प्रेजेंटेशन या फार्मेसी प्रशिक्षण या प्रयोगशाला प्रशिक्षण या विच्छेदन या क्षेत्र का दौरा या कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण या एकीकृत शिक्षा या समस्या आधारित शिक्षा या केस आधारित शिक्षा या प्रारंभिक नैदानिक प्रदर्शन या साक्ष्य आधारित शिक्षा आदि तथा विषय की आवश्यकता के अनुसार तथा गैर-व्याख्यानों में, नैदानिक या व्यावहारिक भाग सत्तर प्रतिशत होगा और प्रदर्शनात्मक शिक्षण तीस प्रतिशत होगा।

(ङ) अनुसंधान योग्यता के विकास के साथ-साथ सभी स्वास्थ्य विज्ञानों के समग्र और एकीकृत ज्ञान प्रदान करने के लिए नए विभागों और विषयों जैसे मनोविज्ञान, योग, आधुनिक फार्माकोलॉजी की अनिवार्यता और अनुसंधान पद्धति और जैव सांख्यिकी जैसे विषयों को डिग्री पाठ्यक्रम में पेश किया गया है।

(च) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विभाग/विषय होंगे, जिनके नाम हैं :

**तालिका संख्या 2**

| क्र.सं. | विभाग का नाम |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका |
| 2 | ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी |
| 3 | होम्योपैथिक फार्मेसी |
| 4 | होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग |
| 5 | मानव शरीर रचना विज्ञान |
| 6 | मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन |
| 7 | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान |
| 8 | पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी |
| 9 | सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और बायोस्टैटिस्टिक्स |
| 10 | सर्जरी |
| 11 | स्त्री रोग और प्रसूति |
| 12 | फार्माकोलॉजी की अनिवार्यताओं के साथ चिकित्सा का अभ्यास |
| 13 | स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग |

(छ) निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अर्थात् : -

**तालिका -3**

| क्र.सं. | विषय का कोड | विषय |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | होमयूजी-एचएमएम-I | होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका |
| 2 | होमयूजी-ओएम-I | ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी |
| 3 | होमयूजी-आर-I | होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग |
| 4 | होमयूजी-एचपी | होम्योपैथिक फार्मेसी |
| 5 | होमयूजी-एएन | मानव शरीर रचना विज्ञान |
| 6 | होमयूजी-पीबी | मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन |
| 7 | होमयूजी-योग-I | स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग |

(ज) द्वितीय व्यावसायिक सत्र सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

**तालिका -4**

| क्र.सं. | विषय का कोड | विषय |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | होमयूजी-एचएमएम- II | होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका |
| 2. | होमयूजी-ओएम-II | ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी |
| 3. | होमयूजी-आर-II | होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग |
| 4. | होमयूजी-एफएमटी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान |
| 5. | होमयूजी-पैथोएम | पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी |
| 6. | होमयूजी-सर्ज-I | सर्जरी |
| 7. | होमयूजी-ओबीजीवाई-I | स्त्री रोग और प्रसूति |
| 8. | होमयूजी-पीएम-1 | चिकित्सा का अभ्यास |
| 9. | होमयूजी-योग-II | स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग |

(झ) तृतीय व्यावसायिक सत्र सामान्यतः द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

**तालिका -5**

| क्र.सं. | विषय का कोड | विषय |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | होमयूजी-एचएमएम-III | होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका |
| 2 | होमयूजी-ओएम-III | ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी |
| 3 | होमयूजी-आर-III | होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग |
| 4 | होमयूजी-पीएम-II | चिकित्सा का अभ्यास |
| 5 | होमयूजी-मोड.फार | फार्माकोलॉजी की अनिवार्यता |
| 6 | होमयूजी-सर्ज-II | सर्जरी |
| 7 | होमयूजी-ओबीजीवाई-II | स्त्री रोग और प्रसूति |
| 8. | होमयूजी-सीएम-I | सामुदायिक चिकित्सा |
| 9. | होमयूजी-योग-III | स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग |

(ञ) चतुर्थ व्यावसायिक सत्र सामान्यतः तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

**तालिका-6**

| क्र.सं. | विषय का कोड | विषय |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | होमयूजी-एचएमएम-IV | होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका |
| 2 | होमयूजी-ओएम-IV | ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी |
| 3 | होमयूजी-आर-IV | होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग |
| 4 | होमयूजी-पीएम-III | चिकित्सा का अभ्यास |
| 5 | होमयूजी-सीएम-आरएम-स्टेट-II | सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैव सांख्यिकी |
| 6 | होमयूजी-योग-IV | स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग |

(ट) **नैदानिक प्रशिक्षण** - छात्र का नैदानिक प्रशिक्षण द्वितीय सत्र के बाद प्रथम व्यावसायिक सत्र से प्रारंभ होगा तथा संबंधित संकाय एवं विभाग द्वारा संलग्न अस्पताल में विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर-व्याख्यान घंटे में विषय संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है-

(i) पहले व्यावसायिक सत्र के दौरान, बाह्य रोगी विभाग(ओ.पी.डी.), आंतरिक रोगी विभाग (आई.पी.डी.), समुदाय और परिधीय क्लीनिकों में नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उपयुक्त ऑडियो-विजुअल मीडिया या सिम्युलेटेड रोगियों के माध्यम से क्लिनिकल एक्सपोजर की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(ii) छात्रों को प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, दवा के नाम, खुराक, दवाओं के वितरण आदि से परिचित होने के लिए अस्पताल फार्मेसी में तैनात किया जाएगा।

(iii) दूसरे, तीसरे और चौथे व्यावसायिक सत्र के दौरान, विशिष्ट आउट पेशेंट विभाग (ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), परिधीय आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और सामुदायिक पोस्टिंग के माध्यम से नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें उपरोक्त विभागों के शिक्षक सलाहकार हैं। रेडियोलॉजी, हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी प्रयोगशाला सहित ओपीडी में मरीजों की जांच केस लेना, विश्लेषण, मूल्यांकन और लक्षणों की समग्रता, नैदानिक परीक्षा, प्रदर्शन और जांच और नुस्खे लेखन में छात्रों को शामिल किया जाएगा।

(iv) एड ऑन थेरेपी पर प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण : संबंधित सलाहकार द्वारा छात्रों को योग, फिजियोथेरेपी और आहार और पोषण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(v) दूसरे और तीसरे व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण गैर-व्याख्यान/नैदानिक बैचों के अनुसार रोटेशन के आधार पर और निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित नैदानिक/गैर-व्याख्यान शिक्षण घंटों के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

क) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनिवार्य रेपर्टोराइजेशन के साथ, होम्योपैथिक विशेष और सामान्य आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), पेरिफेरल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), सामुदायिक आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.)

ख) चिकित्सा का अभ्यास : एम.ओ.यू. वाले संलग्न अस्पताल/ सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और विशेष क्लीनिक विभाग जैसे बाल रोग, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, ऑन्कोलॉजी या किसी अन्य में अभ्यास

ग) सर्जरी: आंख, ई.एन.टी., डेंटल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और किसी अन्य संबंधित विशेषता क्लीनिक; ऑपरेशन थिएटर यूनिट: एम.ओ.यू. वाले संलग्न अस्पताल/सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में तैयारी कक्ष, पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, नसबंदी, घाव देखभाल और संक्रमण नियंत्रण, जैव-अपशिष्ट प्रबंधन और किसी प्रकार की विशेष इकाइयां।

घ) स्त्री रोग और प्रसूति : आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), लेबर रूम, प्रक्रिया कक्ष, और प्रजनन, मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अन्य संबंधित विशेषता वाले क्लीनिक, यदि कोई हों।

ङ) सामुदायिक चिकित्सा विभाग, विशेष क्लीनिकों द्वारा अपनाए गए गांवों/स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे जागरूकता शिविरों, अभियानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रोफिलैक्सिस और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) में भर्ती मरीजों के पोषण संबंधी आकलन और आहार की आवश्यकता का निर्धारण अस्पताल के आहार विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पोषण संबंधी विकारों और संतुलित आहार के बारे में जागरूकता शामिल की जाएगी।

च) स्कूल स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के तहत काम कर रहे क्लिनिकल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और क्लिनिक

(vi) चौथे व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण, आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), फिजियोथेरेपी कक्ष में विषयों की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाएगा और गैर-व्याख्यान /नैदानिक प्रशिक्षण, बैच के अनुसार रोटेशन के आधार पर और निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित नैदानिक/गैर- व्याख्यान शिक्षण घंटे के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

i. सामान्य और विशेष होम्योपैथिक आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.)

ii. अस्पताल में आपातकालीन/हताहत विभाग

iii. अस्पताल में कौशल प्रयोगशाला

iv. मेडिसिन का अभ्यास : एमओयू वाले संलग्न अस्पताल / सुपरस्पेशलिटी अस्पताल यदि कोई हो, में विभाग के तहत काम कर रहे आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और स्पेशलिटी क्लीनिक (बाल रोग, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, ऑन्कोलॉजी)।

(2) चयनात्मक-

(क) चयनात्मक छात्र के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए तैयार किए गए अध्ययन के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का गठन करता है तथा प्रत्येक विषय की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो नियमित पाठ्यक्रमों द्वारा पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं की जाती हैं।

(ख) चयनात्मक का प्रबंधन आयोग द्वारा एक ऑनलाइन गतिविधि के रूप में किया जाएगा।

(i) प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम से तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम तक के प्रत्येक छात्र से प्रत्येक वर्ष दो चयनात्मक करने की अपेक्षा की जाएगी।

(ii) चयनात्मक प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के दूसरे टर्म से शुरू होंगे।

(iii) प्रत्येक व्यावसायिक वर्ष में एक चयनात्मक विकल्प अनिवार्य होगा, जबकि एक छात्र द्वारा किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई सूची में से एक का चयन किया जा सकता है।

(iv) संबंधित शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण करने के लिए दो चयनात्मक को पूरा करना अनिवार्य है।

(v) प्रत्येक चयनात्मक अवधि के संदर्भ में भिन्न हो सकता है लेकिन उपलब्ध होगा और लगभग 2 या अधिक घंटों के भागों में विभाजित होगा और सामग्री/प्रस्तुति को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक भाग में,व्याख्यान/प्रदर्शन, कुछ सुझाई गई पठन सामग्री/गतिविधियों और मूल्यांकन के रूप में एक दृश्य-श्रव्य भाग शामिल होगा।

(vii) प्रत्येक मूल्यांकन को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद छात्र एक भाग से दूसरे भाग में प्रगति कर सकता है।

(viii) प्रत्येक चयनात्मक के अंत में, छात्र को आयोग द्वारा एक चयनात्मक पूर्णता प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। ग्रेड वाला यह प्रमाणपत्र, चयनात्मक पूरा करने के प्रमाण के रूप में कॉलेज के अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे संबद्ध विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिए।

(ix) कोई भी छात्र यदि चयनात्मक को पूरा करने में विफल रहता है, उसे विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(x) प्रत्येक छात्र को पोर्टल में लॉग इन करने के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी।

**8. होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के पूरक के लिए पद्धति (स्मार्ट-होयोपैथी)** -

(1) होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक के संबंध में, विनियम 7 तालिका संख्या 2 में उल्लिखित सभी तेरह विभागों को निदान उपकरण, वैचारिक प्रगति और निम्नानुसार उभरते क्षेत्रों के क्षेत्र में प्रासंगिक और उचित प्रगति/विकास के साथ पूरक, समृद्ध और अद्यतन किया जाएगा। -

(क) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान आदि जैसे बुनियादी विज्ञानों में नवाचार या प्रगति या नए विकास;

(ख) नैदानिक प्रगति;

(ग) दवाओं की गुणवत्ता और मानकीकरण, दवा विकास आदि सहित फार्मास्युटिकल तकनीक;

(घ) शिक्षण, प्रशिक्षण के तरीके और प्रौद्योगिकी;

(ङ) अनुसंधान के तरीके, पैरामीटर, उपकरण और मापक आदि;

(च) टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन आदि;

(छ) बायोमेडिकल प्रगति;

(ज) चिकित्सकीय संसाधन;

(झ) कोई अन्य नवाचार, अग्रिम, प्रौद्योगिकियां और विकास जो होम्योपैथी में अनुसंधान को समझने, मान्य करने, शिक्षण, जांच, निदान, उपचार, निदान, प्रलेखन, मानकीकरण और संचालन के लिए उपयोगी हैं।

(2) होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के उद्देश्य से आयोग द्वारा बहु-विषयक कोर समिति गठित की जाएगी, जो किसी एक या कई विभागों में शामिल करने के लिए उपयुक्त और समुचित विकास की पहचान करेगी।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक विभाग के लिए एक विशेषज्ञ समिति होगी, जो उक्त प्रगतियों और विकासों के अनुकूलन और समावेश की विधि को परिभाषित करने और सुझाव देने के लिए और स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर इसे शामिल करने को भी निर्दिष्ट करेगी। विशेषज्ञ समिति,आवश्यकता के अनुसार उपयोग, मानक संचालन प्रक्रिया और व्याख्या के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करेगी।

(4) होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के संबंध में शिक्षण कर्मचारी, चिकित्सक, शोधकर्ता, छात्र और नवप्रवर्तक आदि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं और ऐसे सुझाव होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा कोर कमेटी के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे।

(5) आधुनिक प्रगतियों को होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर,उक्त प्रगति की अध्ययन द्वारा समर्थित उचित व्याख्या के साथ शामिल किया जाएगा, और पाठ्यक्रम में ऐसी प्रगतियों को शामिल करने के पांच साल बाद, उन्हें होम्योपैथी पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

(6) एक बार जब कोर कमेटी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है, तो राष्ट्रीय होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को निर्देश देगा कि वह विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इसे शामिल करे और यदि अनुशंसित आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए शिक्षकों के उन्मुखीकरण का संचालन करने के लिए आवश्यक है,तो आयोग इसके लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(7) स्मार्ट-होम्योपैथी के लिए समितियों की संरचना - प्रत्येक विभाग के लिए एक कोर समिति और एक विशेषज्ञ समिति होगी और ऐसी समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी -

(क) स्मार्ट-होम कोर समिति (होम्योपैथी) की संरचना : स्मार्ट-होम, एक ग्यारह सदस्यीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - अध्यक्ष;

(ii) होम्योपैथी के चार विशेषज्ञ (मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के एक-एक विशेषज्ञ) - सदस्य;

(iii) सी.सी.आर.एच., एन.आई.एच., फार्मा उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य से एक-एक विशेषज्ञ (या तो सेवानिवृत्त या सेवा में) - सदस्य;

(iv) एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य;

(v) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के सदस्य - सदस्य सचिव।

बशर्ते कि कोर समिति, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष की उचित अनुमति से, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

(ख) संदर्भ की शर्तें -

(i) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

(ii) समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(iii) समिति ऊपर सूचीबद्ध किसी भी आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की पहचान करेगी जो होम्योपैथी के लिए प्रासंगिक और प्रयोज्य हो और इसके लिए उपयोगी हो -

क) होम्योपैथी में अनुसंधान गतिविधियों के संचालन को मान्य करने की समझ;

ख) निदान या प्रोग्नोसिस एक विशिष्ट नैदानिक स्थिति और उपचार है;

ग) शिक्षण और प्रशिक्षण;

घ) होम्योपैथी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं।

(iv) समिति,होम्योपैथी के चार विशेषज्ञ सदस्यों की सहायता से होम्योपैथी के बुनियादी सिद्धांतों के लिए चिह्नित की गई आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की प्रयोज्यता सुनिश्चित करेगी।

(v) कोर समिति,आधुनिक प्रगति या विकास की पहचान के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की पहचान करेगी और उनकी सिफारिश करेगी।

(vi) कोर समिति,मामले के अनुरूप प्रगति या विकास को विशिष्ट विभाग में इसके उपयोग के संदर्भ में या स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि में शामिल करने के लिए सुझाव देगी।

(vii) चूंकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगातार बदल रही है, कोर समिति आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुराने हिस्से की पहचान करेगी और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को उचित आधुनिक प्रगति के साथ इसे बदलने का सुझाव देगी।

(8)

(क) प्रत्येक विभाग के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(i) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ - अध्यक्ष;

(ii) प्रासंगिक होम्योपैथी विषयों के दो विशेषज्ञ (एक यू.जी. से और एक पी.जी. से) - सदस्य;

(iii) प्रासंगिक आधुनिक विषय से एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(iv) शिक्षण प्रौद्योगिकी से एक विशेषज्ञ - सदस्य।

बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की अनुमति से चयनित क्षेत्र के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

(ख) संदर्भ की शर्तें –

(i) विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा;

(ii) आयोग के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति की बैठकें जितनी बार चाहे, होंगी;

(iii) विशेषज्ञ समिति, कोर समिति के सुझाव पर काम करेगी और इसे पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, इसके शिक्षण का तरीका (अर्थात, व्याख्यान/गैर-व्याख्यान) और शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद्, विशेषज्ञों की मदद से मूल्यांकन को तय करेगी;

(iv) विशेषज्ञ समिति, पहले इसकी प्रासंगिकता के लिए चिह्नित किए जाने वाले आधुनिक प्रगतियों की प्रयोज्यता और होम्योपैथी के बुनियादी सिद्धांतों के साथ इसके संदर्भ को समझेगी;

(v) विशेषज्ञ समिति, होम्योपैथी में विशेष रूप से उस वर्टिकल के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता की पहचान करेगी और उपयुक्त तकनीक की पहचान करेगी और मानक संचालन प्रक्रिया या कार्यप्रणाली के साथ इसके उपयोग की सिफारिश करेगी;

(vi) स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शामिल की जाने वाली आधुनिक प्रगति और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषज्ञ समिति कोर समिति को सुझाव देगी।

**9. परीक्षाओं, परिणामों और पुन : प्रवेश के लिए सामान्य दिशानिर्देश :**

1) विश्वविद्यालय,विभिन्न राज्यों या संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिकृत एजेंसियों में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करेंगे।

2) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा संस्थानों को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए छात्रों को भेजने की अनुमति देने से पहले संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट प्रत्येक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में विषयों में व्याख्यान/प्रदर्शन/व्यावहारिक/सेमिनार आदि के लिए न्यूनतम घंटों का पालन किया जाता है।

3) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा संस्थानों के छात्र, जो इन नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए नहीं भेजा जाता है।

4) प्रत्येक छात्र को परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक / व्याख्यान घंटे / व्यावहारिक और नैदानिक / गैरव्याख्यान घंटे में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक - होगा।

5) जहां संस्थान भौतिक रूप में रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, उसे अनुबंध-iii के अनुसार संचयी संख्या पद्धति में दर्ज किया जाएगा और पाठ्यक्रम/अवधि/पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, इसे विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा प्रमाणित और संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

6) अनुमोदित उपस्थिति विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

7) प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) व्यावसायिक वर्षों के दौरान चिकित्सा संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएँ।

8) आंतरिक मूल्यांकन का अधिभार मुख्य विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट कुल अंकों का 10 प्रतिशत होगा तथा आंतरिक मूल्यांकन केवल व्यावहारिक रूप में होगा।

9) छह महीने की प्रत्येक अवधि में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में, एक आवधिक मूल्यांकन और एक सत्रीय परीक्षा शामिल होगी।

10) संबंधित व्यावसायिक वर्ष के अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म को भरने से पहले प्रत्येक छात्र को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चिकित्सा संस्थान के प्रमुख किसी भी व्यावसायिक वर्ष की अंतिम परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय को आंतरिक मूल्यांकन और टर्म टेस्ट के अंक भेजेंगे।

11) विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो सत्र पूरा नहीं कर सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमानुसार नियमित बैच के साथ या जूनियर बैच के साथ कक्षा में उपस्थित होना चाहिए।

12) अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु पात्र बनने के लिए, एक छात्र को सभी चार व्यावसायिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए और छह ऐच्छिक में उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटर्नशिप सहित, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) का पूरा पाठ्यक्रम अधिकतम दस वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

13) सैद्धान्तिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एम.सी.क्यू.) के लिए दस प्रतिशत अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न (एस.ए.क्यू.) के लिए चालीस प्रतिशत अंक और दीर्घ व्याख्यात्मक उत्तर प्रश्न (एल.ए.क्यू.) के लिए पचास प्रतिशत अंक होंगे और ये प्रश्न विषय को व्यापक रूप से कवर करेंगे।

14) प्रत्येक सैद्धान्तिक परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी।

15) प्रत्येक विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सैद्धांतिक भाग में पचास प्रतिशत और व्यावहारिक भाग में पचास प्रतिशत, जिसमें व्यावहारिक, नैदानिक, मौखिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और चयनात्मक शामिल हैं, जहां भी लागू हो, अलग-अलग होंगे।

16) चयनात्मक का मूल्यांकन : उपस्थिति और मूल्यांकन के संदर्भ में चयनात्मक का मूल्यांकन ग्रेडिंग द्वारा किया जाएगा : -

*क)* ग्रेडिंग केवल दो चयनात्मक व्यावसायिक सत्र के लिए होगी और ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के बाद छात्र द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा।

*ख)* ग्रेडिंग का उल्लेख छात्र के विश्वविद्यालय के अंकपत्र में किया जाएगा।

*ग)* संस्थान की परीक्षा शाखा छात्रों द्वारा प्राप्त चयनात्मक के ग्रेड को संकलित करेगी और संस्थान के प्रमुख के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी ताकि विश्वविद्यालय इसे छात्र की अंतिम अंकतालिका में जोड़ सके।

17) **चयनात्मक की ग्रेडिंग निम्नानुसार किया जाएगा** :

*क)* चयनात्मक का मूल्यांकन संसाधन व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, जिसने चयनात्मक की सामग्री तैयार की है और छात्र का मूल्यांकन किया है।

*ख)* ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा :

i. समस्या की परिभाषा की गहराई – 15%

ii. किए गए कार्य का विस्तार – 20%

iii. नवोन्मेष – 15%

iv. प्रस्तुति का तार्किक एवं समेकित तरीका – 20%

v. प्राप्त शिक्षण की गुणवत्ता – 20%

vi. लिए गए संदर्भों की पर्याप्तता – 10%

*ग)* अंतिम ग्रेड निम्नानुसार होंगे:

i. "ए" – उत्कृष्ट (70% से अधिक)

ii. "बी" – अच्छा (60 % से अधिक)

iii. "सी" – औसत (50% के आसपास)

iv. "डी" – औसत से कम (40% के आसपास)

v. "ई" – खराब (40% से कम)

*घ)* बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम पास करने के लिए छात्र को सभी चयनात्मक में न्यूनतम 'सी' ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18) जैसा कि परीक्षा निकाय निर्धारित करे, वह उसी तिथि और समय पर परीक्षा आयोजित करेगा, कर सकता है तथा सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल परीक्षाएं परीक्षा निकाय द्वारा अनुमोदित केंद्र पर आयोजित की जाएंगी।

19) एक वर्ष में एक नियमित परीक्षा तथा एक पूरक परीक्षा होगी तथा अंकपत्र जारी करने सहित नियमित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

20) साठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा और पचहत्तर प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को विषय में विशिष्टता दी जाएगी।

21) पूरक परीक्षाओं के लिए कक्षा और विशिष्टता का पुरस्कार लागू नहीं होगा।

22) किसी परीक्षा में उपस्थित न होने पर, उम्मीदवार को उस परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी।

23) कोई भी डिप्लोमा/डिग्री योग्यता, जो वर्तमान में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973(1973 का 59) की अनुसूची II और अनुसूची III में शामिल है, जहां नामकरण इन विनियमों के अनुरूप नहीं है, इन विनियमों के लागू होने के बाद वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि, यह खंड उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जो इन विनियमों के लागू होने से पहले ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं।

24)

क) किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक परीक्षा के किसी भी विषय में बाहरी या आंतरिक परीक्षक या पेपर सेटर या मॉडरेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) डिग्री प्राप्त करने के लिए अंतिम व्यावसायिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ हो, जब तक कि इसके लिए पहले के समय में उसने पहले तीन वर्ष न लिए हों तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (होम्यो.) की डिग्री या विशेष रूप से समकक्ष योग्यता शिक्षकों की पात्रता पर आयोग की सिफारिश के अनुसार संबद्ध महाविद्यालय में संबंधित विषय में एक संकाय पद पर विषय योग्यता और कुल शिक्षण के कम से कम तीन साल का अनुभव हो चुका हो।

ख) मेडिकल छात्रों के अध्यापन में लगे गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक जैसे पूर्णकालिक शिक्षक, उनके संबंधित विषय में परीक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित पीजी योग्यता हो और स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद मेडिकल छात्रों को तीन साल का शिक्षण अनुभव हो।

बशर्ते कि परीक्षकों की संख्या का 50 प्रतिशत (आंतरिक और बाहरी) चिकित्सा योग्यता की विधा से होगा।

(ग) एक से अधिक कॉलेज वाले विश्वविद्यालय के लिए, संबंधित कॉलेज के आंतरिक परीक्षकों के साथ, प्रत्येक कॉलेज के परीक्षक के अलग-अलग सेट होंगे।

(घ) ऐसे राज्य में जहां एक से अधिक संबद्ध विश्वविद्यालय मौजूद हैं, बाहरी परीक्षक दूसरे विश्वविद्यालय से होंगे।

(ङ) बाह्य परीक्षकों को 2 वर्ष के अंतराल पर बारी-बारी से कार्य करना होगा।

(च) होम्योपैथिक संस्थान में संबंधित विषय में तीन साल के न्यूनतम शिक्षण अनुभव वाले पूर्णकालिक शिक्षक को उनके विषय में रोटेशन द्वारा आंतरिक / बाहरी परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।

**10. विश्वविद्यालय परीक्षा**

(1) प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

(क) छात्र को प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उसकी उपस्थिति विनियम 9 के उपबंध (4) के अनुसार और चिकित्सा संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के अनुरूप हो।

(ख) प्रवेश की तारीख से सत्रहवें - अठारहवें महीने के बीच प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) की परीक्षा के संचालन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

(ग) प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा।

(2) द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

(क) किसी भी उम्मीदवार को द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं किया है और विनियम 9 के उप-खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार उपस्थिति आवश्यक है।

(ख) प्रवेश की तिथि से उनतीसवें - तीसवें माह के बीच द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के परीक्षा आयोजन एवं परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए।

(ग) द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा।

(3) तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

क. किसी भी उम्मीदवार को तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं किया हो और विनियम 9 के उप खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की संतुष्टि के अनुरूप उपस्थिति आवश्यक है।

ख. प्रवेश की तारीख से इकतालीसवें से बयालीसवें महीने के बीच तीसरे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) की परीक्षा संचालन और उसके परिणाम की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

ग. तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को पास करना होगा।

(4) चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

क. किसी भी उम्मीदवार को चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लिया है और विनियम 9 के उप खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप उपस्थिति आवश्यक है।

ख. परीक्षा आयोजित करने और तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया, प्रवेश की तारीख से तिरेपनवें-चौवनवें महीने के बीच पूरी की जानी चाहिए।

ग. चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को पास करना होगा।

**परिणाम :**

(क) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के परिणाम, परीक्षा की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर प्रकाशित हो जाएं ताकि छात्र प्रवेश के बाद साढ़े पाँच वर्षों में पाठ्यक्रम पूरा कर सकें।

(ख) एक या एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को, उस विषय या उन विषयों में बाद की परीक्षाओं में, फिर से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, यदि उम्मीदवार मूल परीक्षा सहित चार अवसरों के भीतर पूरी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।

(ग) पूर्वगामी नियमों के बावजूद, छात्रों को निम्नलिखित शर्तों पर टर्म रखने की सुविधा दी जाएगी :

(i) उम्मीदवार को द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से कम से कम एक सत्र (छह महीने) पहले, सभी विषयों में प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ii) उम्मीदवार को तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से कम से कम एक सत्र (6 महीने)पहले द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(iii) उम्मीदवार को चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में शामिल होने से कम से कम एक सत्र (6 महीने) पहले तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) जिस छात्र ने सभी चार प्रयासों को समाप्त करने के बाद भी चार व्यावसायिक परीक्षाओं में से कोई भी उत्तीर्ण नहीं किया है, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि छात्र की गंभीर व्यक्तिगत बीमारी के मामले में और किसी भी अपरिहार्य परिस्थितियों में, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति चार व्यावसायिक परीक्षाओं में से किसी एक में दो और अवसर प्रदान कर सकते हैं।

(ङ) परीक्षा निकाय असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को सूचित करते हुए अपने द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सकता है और ऐसे रद्दीकरण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उन विषयों में पुन: परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकता है।

(च) यदि छात्र एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो विश्वविद्यालय या परीक्षा प्राधिकरण के पास अधिकतम दस अंक तक के ग्रेस अंक देने का विवेकाधिकार होगा।

**11. मूल्यांकन** - छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा-

(1) रचनात्मक मूल्यांकन – बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम सामग्री की समझ और उनके सीखने के परिणाम को निर्धारित करने के लिए छात्रों को कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित तरीके से मूल्यांकित किया जाएगा। :-

(क) आवधिक मूल्यांकन व्यावहारिक रूप से और किसी विषय या मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के किसी विशेष भाग के शिक्षण के अंत में किया जाएगा। निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धति को सामग्री के लिए उपयुक्त के रूप में अपनाया जा सकता है।

**तालिका -7**

| क्रम संख्या | मूल्यांकन पद्धति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | व्यावहारिक/नैदानिक प्रदर्शन |
| 2. | मौखिक परीक्षा |
| 3. | ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित) |
| 4. | सारांश लेखन (अनुसंधान पत्र/सार) |
| 5. | कक्षा प्रस्तुतियाँ; वर्क बुक अनुरक्षण |
| 6. | समस्या आधारित असाइनमेंट |
| 7. | ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन (ओ.एस.सी.ई.), ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन (ओ.पी.एस.ई.), मिनी क्लिनिकल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज (मिनी-सी.ई.एक्स.), डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर्स (डी.ओ.पी.), केस बेस्ड डिस्कशन (सी.बी.डी.) |
| 8. | पाठ्येतर गतिविधियाँ, (सामाजिक कार्य, जन जागरूकता, निगरानी / रोकथाम गतिविधियाँ, खेल या अन्य गतिविधियाँ जो विभाग द्वारा तय की जा सकती हैं)। |
| 9. | छोटा प्रोजेक्ट |

(ख)

(i) प्रथम बैचलर ऑफ होम्यो(ख)(i) होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम: प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम तीन आवधिक मूल्यांकन होंगे (आमतौर पर 4वें, 9वें और 14वें महीने में) और दो टर्म टेस्ट (आमतौर पर 6वें और 12वें महीने में) और उसके बाद अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा होगी

(ii) द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम: चौथे और नौवें महीने में न्यूनतम दो आवधिक मूल्यांकन और छठे महीने में एक सत्रीय परीक्षा और उसके बाद अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा होगी।

(iii) मूल्यांकन की योजना तथा उनका योग निम्नानुसार दी गई तालिकाओं के अनुरूप होगा। :

**तालिका-8**

**[मूल्यांकन की योजना(रचनात्मक और योगात्मक)]**

| क्र.सं. (1) | व्यावसायिक पाठ्यक्रम (2) | व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि (3) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पहला टर्म (क) | दूसरा टर्म (ख) | तीसरा टर्म और विश्वविद्यालय की परीक्षा (ग) | |
| 1 | प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. -1 | दूसरा पी.ए. तथा दूसरा टी.टी. -2 | तीसरा पी.ए. | प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा(एफ.यू.ई.) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **पहला टर्म** | **दूसरा टर्म और विश्वविद्यालय की परीक्षा** | |
| 2 | द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. -1 | दूसरा पी.ए. | द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा(एफ.यू.ई.) |
| 3 | तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. | दूसरा पी.ए. | तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा(एफ.यू.ई.) |
| 4 | चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) | पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. | दूसरा पी.ए. | चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा(एफ.यू.ई.) |

पी.ए. : आवधिक मूल्यांकन; टी.टी.: टर्म जाँच; पी.ई. : विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षा

यू.ई.: विश्वविद्यालय परीक्षाएँ, बी.एच.एम.एस. : बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी

(2) **योगात्मक मूल्यांकन –**

*(क)* प्रत्येक व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)के अंत में आयोजित अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा, योगात्मक मूल्यांकन होगा।

*(ख)* दोहरी मूल्यांकन प्रणाली होगी और पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा।

*(ग)* एक सौ अंकों के लिए विश्वविद्यालय की व्यावहारिक/नैदानिक/ मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाहरी) होंगे। यह दो सौ अंकों के लिए बढ़कर चार (दो आंतरिक और दो बाहरी) हो जाएगा। दो सौ अंकों की पूरक परीक्षा के दौरान, यदि छात्र पचास से कम हैं, तो एक आंतरिक और एक बाहरी परीक्षक द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लेकिन यदि छात्र पचास से अधिक हैं, तो चार परीक्षकों की आवश्यकता होती है (दो आंतरिक और दो बाहरी परीक्षक)।

*(घ)* योगात्मक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करते समय, आंतरिक मूल्यांकन के भाग को तालिका-10, तालिका-12, तालिका-14 और तालिका-16 में दिए गए अंक पैटर्न के वितरण के अनुसार माना जाएगा।.

12. **व्यावसायिक विषय, पत्रों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। : -**

**तालिका - 09**

| **प्रथम वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)** (3 टर्म) | | | |
|---|---|---|---|
| **विषय** | **शिक्षण के घंटों की संख्या** | | |
| | **व्याख्यान** | **गैर- व्याख्यान** | **कुल** |
| होम्यो यू.जी.-ओ.एम.-I | 180 | 100 | 280 |
| होम्यो यू.जी.-ए.एन. | 325 | 330 | 655 |
| होम्यो यू.जी.-पी.बी. | 325 | 330 | 655 |
| होम्यो यू.जी.-एच.पी. | 100 | 110 | 210 |
| होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-I | 120 | 75 | 195 |
| होम्यो यू.जी.-आर-I | 21 | - | 21 |
| होम्यो यू.जी.-योग-I | - | 30 | 30 |
| **कुल योग** | **1071** | **975** | **2046** |

**तालिका – 10**

**अंक वितरण प्रथम वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)**

| **क्र. सं.** | **विषय का कोड** | **पत्र** | **सैद्धांतिक** | **व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन** | | | | | **सकल योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **व्यावहारिक / नैदानिक** | **मौखिक** | **आई.ए.** | **चयनात्मक का ग्रेड** | **समेकित योग** | |
| 1 | *होम्यो यू.जी.-ओ.एम. -I* | 1 | **100** | 50 | 40 | 10 | चयनात्मक-I | 100 | 200 |
| 2 | *होम्यो यू.जी.-ए.एम.ई.* | 2 | **200** | 100 | 80 | 20 | चयनात्मक-II | 200 | 400 |
| 3 | *होम्यो यू.जी.-पी.बी.* | 2 | **200** | 100 | 80 | 20 | | 200 | 400 |
| 4 | *होम्यो यू.जी.-एच.पी.* | 1 | **100** | 50 | 40 | 10 | | 100 | 200 |
| 5 | *होम्यो यू.जी.-एच. एम.एम.* | 1 | **100** | 50 | 40 | 10 | | 100 | 200 |
| **सकल योग** | | | | | | | | | 1400 |

**तालिका -11**

| **द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)** ( 2 टर्म)<br>*शिक्षण के घंटे=1404* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **विषय का कोड** | **शिक्षण के घंटों की संख्या** | | |
| | | **व्याख्यान** | **गैर-व्याख्यान** | **कुल** |
| 1 | होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-II | 150 | 30 | 180 |
| 2 | होम्यो यू.जी.-ओ.एम.- II | 150 | 30 | 180 |
| 3 | होम्यो यू.जी.-आर.- II | 50 | 30 | 80 |
| 4 | होम्यो यू.जी.-एफ.एम.टी. | 120 | 50 | 170 |
| 5 | होम्यो यू.जी.-पैथ- माइक्रो | 200 | 80 | 280 |
| 7 | होम्यो यू.जी.-पी.एम.-I | 80 | 92 | 172 |
| 8 | होम्यो यू.जी.-सर्जरी-I | 92 | 60 | 152 |
| 9 | होम्यो यू.जी.-ओबीजीवाई -I | 100 | 60 | 160 |
| 10 | होम्यो यू.जी.-योग-II | - | 30 | 30 |
| | **सकल योग** | 942 | 462 | 1404 |

**तालिका -12**

| **अंक वितरण द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र .सं.** | **विषय का कोड** | **पत्र** | **सैद्धांतिक** | **व्यावहारिक नैदानिक** | **व्यावहारिक या नैदानिक** (6) | | | | |
| | | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **मौखिक** | **चयनात्मक का ग्रेड (ख)** | **आई.ए.** | **समेकित योग** | **सकल योग (ड)** |
| (1) | (2) | | | | **(क)** | | **(ग)** | **(घ)** | |
| 1. | *होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.*-II | 1 | 100 | 50 | 40 | चयनात्मक I<br>चयनात्मक II | 10 | 100 | 200 |
| 2. | *होम्यो यू.जी.-ओ.एम. -//* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 100 | 200 |
| 3. | *होम्यो यू.जी.-एफ.एम.टी. -I* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 100 | 200 |
| 4. | *होम्यो यू.जी.-पैथो माइक्रो* | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| | **सकल योग** | | | | | | | | 1000 |

**तालिका -13**

| **तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)**<br>**( 2 टर्म)**<br>*शिक्षण के घंटे =1404* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **विषय का कोड** | **शिक्षण के घंटों की संख्या** | | |
| | | **व्याख्यान** | **नैदानिक /व्यावहारिक** | **कुल** |
| 1 | **होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-III** | 150 | 50 | 200 |
| 2 | **होम्यो यू.जी.-ओ.एम.-III** | 150 | 50 | 200 |
| 3 | **होम्यो यू.जी.-आर.-III** | 100 | 50 | 150 |
| 4 | **होम्यो यू.जी.-पी.एम.-II** | 120 | 100 | 220 |
| 5 | **होम्यो यू.जी.-सर्जरी II** | 120 | 100 | 220 |
| 6 | **होम्यो यू.जी.-ओबीजीवाई II** | 110 | 79 | 189 |
| 7 | **होम्यो यू.जी.-सी.एम.** | 100 | 60 | 160 |
| 8 | **होम्यो यू.जी.-मोड. फार्मे.-I** | 45 | - | 45 |
| 9 | **होम्यो यू.जी.-योग-III** | | 20 | 20 |
| | **सकल योग** | 895 | 509 | 1404 |

**तालिका -14**

| | **(तृतीय वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) अंक वितरण)** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं. (1)** | **विषय का कोड (2)** | **पत्र (3)** | **सैद्धांतिक (4)** | | **व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन (5)** | | | | **सकल योग (6)** |
| | | | | **व्यावहारिक या नैदानिक (क)** | **मौखिक (ख)** | **चयनात्मक का ग्रेड (ग)** | **आई.ए. (घ)** | **समेकित योग (ड)** | |
| 1 | ***होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम. -///*** | 1 | 100 | 50 | 40 | चयनात्मक I - | 10 | 100 | 200 |
| 2 | ***होम्यो यू.जी.-ओ.एम.-III*** | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 3 | ***होम्यो यू.जी.-आर..-///*** | 1 | 100 | 50 | 40 | चयनात्मक II- | 10 | 100 | 200 |
| 4 | ***होम्यो यू.जी.-सर्जरी//*** | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 5 | ***होम्यो यू.जी.-ओबीजीवाई.//*** | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 6 | ***होम्यो यू.जी.-सी.एम.*** | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 200 | 200 |
| | **सकल योग** | | | | | | | | 1800 |

**तालिका -15**

| **चतुर्थ व्यावसायिक वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)**<br>**( 2 टर्म)**<br>शिक्षण के घंटे =1404 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं. (1)** | **विषय का कोड(2)** | **शिक्षण के घंटों की संख्या (3)** | | |
| | | **व्याख्यान (क)** | **गैर-व्याख्यान (ख)** | **सकल योग (ग)** |
| 1 | होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-IV | 200 | 83 | 283 |
| 2 | होम्यो यू.जी.-ओ.आर.जी. -IV | 100 | 75 | 175 |
| 3 | होम्यो यू.जी.-आर. -IV | 60 | 120 | 180 |
| 4 | होम्यो यू.जी.-पी.एम. -III | 300 | 300 | 600 |
| 5 | होम्यो यू.जी.-सी.एम. II आर.एम.-स्टेट. सहित | 71 | 75 | 146 |
| 6 | होम्यो यू.जी.-योग-II | - | 20 | 20 |
| | **कुल** | 731 | 673 | |
| | | | **सकल योग** | **1404** |

**तालिका -16**

| **(चतुर्थ वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) अंक वितरण)** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं. (1)** | **विषय का कोड (2)** | **पत्र (3)** | **सैद्धांतिक( 4)** | **व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन (5)** | | | | **सकल योग (6)** |
| | | | | **व्यावहारिक या नैदानिक (क)** | **मौखिक (ख)** | **आई.ए. (ग)** | **समेकित योग (घ)** | |
| 1 | होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम. -IV | 2 | 200 | 100 | 80 | 20 | 200 | 400 |
| 2 | होम्यो यू.जी.-ओ.आर.जी.-IV | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 100 | 200 |
| 3 | होम्यो यू.जी.-आर.-IV | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 100 | 200 |
| 4 | होम्यो यू.जी.-पी.एम.-III | 3 | 300 | 100 | 80 | 20 | 200 | 500 |
| 5 | होम्यो यू.जी.-सी.एम.-आर.एम.-स्टेट | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 200 | 200 |
| 6 | होम्यो यू.जी.-फार्मेकोलॉजी की विशिष्टताएँ | 1 | 50 | | 40 | 10 | 50 | 100 |
| | **सकल योग** | | | | | | | **1600** |

13. **अध्ययन के दौरान छात्रों का प्रव्रजन** : -

(1) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र को दूसरे कॉलेज में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रव्रजन की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इन परीक्षाओं में असफल छात्र के स्थानांतरण और मध्यावधि प्रव्रजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रव्रजन के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय दोनों के सिद्धांतों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा यह रिक्त सीट के विरुद्ध होगा।

(3) एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रव्रजन किसी छात्र का अधिकार नहीं है।

(4) होम्योपैथिक कॉलेज से भारत में दूसरे होम्योपैथिक कॉलेज में छात्रों के प्रव्रजन पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर केवल असाधारण मामलों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित मानदंड पूरे हों तथा अन्य आधारों पर नियमित प्रव्रजन की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(क) दोनों कॉलेज, अर्थात एक जिसमें छात्र वर्तमान में पढ़ रहा है और एक जिसमें प्रव्रजन की मांग की गई है, को आयोग के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

(ख) प्रव्रजन के लिए, आवेदक अपना आवेदन फार्म-3 (नीचे अनुबंध-VI में) सभी प्रकार से पूर्ण करके, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने (परिणाम की घोषणा) के एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदक को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह स्थानांतरित होने वाले कॉलेज, जिसमें वह स्थानांतरण की मांग कर रहा है, में दूसरी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी व्यावसायिक परीक्षा में बैठने से पहले बारह महीने निर्धारित अध्ययन करेगा, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा और शपथपत्र मिलने के बाद ही स्थानांतरण प्रभावी होगा।

(घ) इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर प्रव्रजन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इस तरह के प्रव्रजन की अनुमति केवल संबंधित कॉलेजों की आपसी सहमति से दी जाएगी, जहां दोनों कॉलेज, यानी एक जहां छात्र वर्तमान में पढ़ रहा है और एक जहाँ पर प्रव्रजन मांगा गया है उसे आयोग के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है।

(5) प्रव्रजन के लिए सभी आवेदन कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को भेजे जाएंगे। कोई भी संस्था या विश्वविद्यालय आयोग की स्वीकृति के बिना सीधे प्रव्रजन की अनुमति नहीं देगा।

(6) आयोग निम्नलिखित अनुकंपा आधारों के अलावा किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो निम्नलिखित हैं : -

(क) सहायक अभिभावक की मृत्यु;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा प्रमाणित चिकित्सा आधार द्वारा समर्थित विकलांगता का कारण बनने वाले उम्मीदवार की बीमारी;

(ग) उस क्षेत्र में जहां कॉलेज स्थित है, संबंधित सरकार द्वारा घोषित अशांत स्थिति।

(7) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन करने वाला विद्यार्थी 'प्रारूप-3' में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से आवेदन करेगा।

**14. अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप प्रशिक्षण -** निम्नानुसार अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप प्रशिक्षण होंगे :-

(1)

(क) प्रत्येक उम्मीदवार को चौथे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा पास करने के एक वर्ष के भीतर इंटर्नशिप ओरिएंटेशन और फिनिशिंग पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप से गुजरना होगा।

(ख) नियमित बैच के छात्रों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम आमतौर पर अप्रैल के पहले कार्य दिवस और पूरक बैच के छात्रों के लिए सितंबर के पहले कार्य दिवस से शुरू होगा।

(ग) छात्र छह चयनात्मक सहित पहली से चौथी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा में, सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद और संबंधित विश्वविद्यालयों से अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र और संबंधित राज्य बोर्ड या अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप काउंसिल से अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य इंटर्नशिप पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

(2) इंटर्नशिप के दौरान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थानों और सभी निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों से संबंधित इंटर्न संबंधित सरकार के तहत अन्य चिकित्सा प्रणालियों के बराबर छात्रवृति पाने के पात्र होंगे और चिकित्सा प्रणालियों के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

(3)

(क) इंटर्नशिप के दौरान प्रव्रजन कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों की सहमति से होगा; ऐसे मामले में जहां प्रव्रजन दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बीच है।

(ख) यदि प्रव्रजन केवल एक ही विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच है तो दोनों महाविद्यालयों की सहमति आवश्यक होगी।

(ग) संस्थान या कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' के साथ अग्रेषित आवेदन प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रव्रजन स्वीकार किया जाएगा।

(4) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इंटर्नशिप के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का परिचय देना है।

(क) सभी इंटर्न इंटर्नशिप के संबंध में एक उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे और इंटर्नशिप शुरू होने से पहले उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी।

(ख) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन इस आशय से किया जाएगा कि इंटर्न को निम्नलिखित के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त हो सके:

(i) चिकित्सा पद्धति और पेशे के नियम और विनियम,

(ii) चिकित्सा नैतिकता,

(iii) चिकित्सा के कानूनी पहलू,

(iv) चिकित्सा के रिकार्ड,

(v) चिकित्सा बीमा,

(vi) चिकित्सा प्रमाणन,

(vii) संचार कौशल,

(viii) आचरण और शिष्टाचार,

(ix) राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम।

(x) परियोजना कार्य

(ग) इंटर्नशिप की शुरुआत में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक इंटर्न द्वारा एक ई-लॉग बुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें इंटर्न उन्मुखीकरण के दौरान उसके द्वारा की गई गतिविधियों का दिनांक-वार विवरण दर्ज करेगा।

(घ) उन्मुखीकरण की अवधि इंटर्नशिप शुरू होने की तारीख से तीन दिन पहले की होगी।

(ङ) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उन्मुखीकरण के संचालन के लिए मैनुअल का पालन किया जाएगा।

(5)

(क) इंटर्नशिप के पूरा होने पर तीन दिनों के लिए एक समापक पाठ्यक्रम होगा।

(ख) यह पाठ्यक्रम इंटर्न के लिए बनाया गया है और इसमें तीन दिनों की अवधि में विस्तारित दस सत्र शामिल होंगे। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों और आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, इस बारे में इंटर्न को जानकारी देना है।

(ग) इस प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद छात्र निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे

(i) डिग्री पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों की सूची बनाना।

(ii) अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना;

(iii) अपनी पसंद का पेशा चुनना;

(iv) एक सफल पेशेवर बनने के लिए, पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की गणना करना;

(v) पेशे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण प्रदर्शित करना;

(vi) संचार, समस्या समाधान, लेखन, टीम निर्माण, समय प्रबंधन, निर्णय लेने आदि में बेहतर कौशल प्रदर्शित करना।;

(vii) नैतिक और पेशेवर मूल्यों का प्रदर्शन करना और एक दयालु और देखभाल करने वाला नागरिक/पेशेवर बनना।

(6) समापक कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे :

क) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद नौकरी के अवसर

ख) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद भारत और विदेशों में अध्ययन के अवसर

ग) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उद्यमिता के अवसर

घ) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुसंधान के अवसर

ङ) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद लोक सेवा के अवसर

च) प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता

छ) सही विकल्प चुनने के लिए आत्म विश्लेषण

ज) साक्षात्कार कौशल, नेतृत्व कौशल, लेखन कौशल, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल सहित पारस्परिक और मधुर कौशल का निर्माण

झ) पेशे से संबंधित प्रमाण पत्र लेखन और नुस्खे लेखन और चिकित्सा-कानूनी मुद्दे

ञ) स्थापना और अध्ययन के लिए उपलब्ध ऋण सहायता और अन्य छात्रवृत्ति सुविधाएं

ट) इंटर्नशिप के सफल समापन के बाद नैतिक / व्यावसायिक और सामाजिक जिम्मेदारियां

(7) इंटर्नशिप के दौरान क्रियाकलापों में नैदानिक कार्य तथा परियोजना कार्य शामिल रहेंगे।

(क) (i) ओपीडी/कॉलेज अस्पताल/एमओयू अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी मेडिसिन के किसी भी सरकारी या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) होम्योपैथी के निजी अस्पताल से मान्यता प्राप्त अस्पताल में नैदानिक कार्य।

(ii) इंटर्न के दैनिक कार्य घंटे आठ घंटे से कम नहीं होंगे; इंटर्न को एक ई-लॉग बुक/लॉग बुक का रखरखाव करना होगा जिसमें इंटर्नशिप के दौरान उसके द्वारा की गई सभी गतिविधियां शामिल हों।

(iii) चिकित्सा संस्थान इंटर्नशिप पूरी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करेगा और इसे कॉलेज / संस्थान की विवरण-पुस्तिका में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

क) विकल्प I, कॉलेज से जुड़े होम्योपैथी अस्पताल में दस महीने के नैदानिक प्रशिक्षण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी चिकित्सा के किसी भी सरकारी अस्पताल या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त होम्योपैथी के निजी अस्पताल में दो महीने के नैदानिक प्रशिक्षण में विभाजित होगा।

i. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र में तैनात किया जाएगा जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और ये पोस्टिंग उन्मुखीकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के ज्ञान से परिचित होने के लिए निम्नलिखित के संबंध में होगी,-

क. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

ख. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल;

ग. कोई भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित होम्योपैथी अस्पताल या डिस्पेंसरी;

घ. होम्योपैथी में केंद्रीय अनुसंधान परिषद की एक नैदानिक इकाई/अस्पताल में।

ii. क्लॉज (क) से (घ) में उल्लिखित उपरोक्त सभी संस्थानों को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

iii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी अस्पताल या औषधालय के किसी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल में दो महीने के इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान, इंटर्न को निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दिनचर्या एवं उनके अभिलेखों के रख-रखाव से परिचित होना;

(2) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित होना;

(3) ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य देखभाल विधियों के शिक्षण और विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करना;

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा या गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित कामकाज से परिचित हों और इस अवधि में हमेशा कर्मचारियों के संपर्क में रहना;

(5) अनुसंधान योग्यता विकसित करना;

(6) संबंधित रजिस्टर जैसे दैनिक रोगी रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, सर्जिकल रजिस्टर आदि के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी लेना;

(7) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

iv. इंटर्न द्वारा पी.एच.सी./सी.एच.सी./डिस्पेंसरी में दो महीने के दौरान उनकी पोस्टिंग के अनुसार उपस्थिति का रिकॉर्ड अनुरक्षित किया जाना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी/उप चिकित्सा अधीक्षक/अनुसंधान अधिकारी/रेसिडेंट मेडिकल ऑफीसर(आर.एम.ओ.) /संकाय/आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जहां छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और मासिक आधार पर कॉलेज के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

ख) विकल्प II, चिकित्सा संस्थान से जुड़े होम्योपैथी अस्पताल में पूरे बारह महीने की होगी और इंटर्न द्वारा कॉलेज से जुड़े अस्पताल में बारह महीनों के दौरान उनकी पोस्टिंग के अनुसार उपस्थिति का रिकॉर्ड अनुरक्षित किया जाना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी/उप चिकित्सा अधीक्षक/अनुसंधान अधिकारी/आर.एम.ओ./संकाय/आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जहां इंटर्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और मासिक आधार पर कॉलेज के डीन/प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ख) विकल्प I और विकल्प II में पोस्टिंग के दौरान नैदानिक कार्य का विभाजन। इंटर्नशिप के दौरान नैदानिक कार्य निम्नलिखित तालिक के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे :

**तालिका-17**

| **(इंटर्नशिप की अवधि का वितरण)** | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **विभाग** | **विकल्प I** | **विकल्प II** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मनोचिकित्सा और योग, त्वचाविज्ञान, और संबंधित विशिष्टताओं और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग का अभ्यास | 2 महीने | 3 महीने |
| 2. | ओ.टी. सहित सर्जरी आउटपेशेंट विभाग, संबंधित विशेषता और नेत्र विज्ञान, कान नाक और गला(ई.एन.टी.) और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग | 2 महीने | 2 महीने |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | स्त्री रोग और प्रसूति आउटपेशेंट विभाग, ऑपरेशन थियेटर सहित संबंधित विशेषता, और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग | 2 महीने | 2 महीने |
| 4. | नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट, और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित बाल चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग से संबंधित विशेषज्ञता | 1 महीना | 2 महीने |
| 5. | सामुदायिक चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग, ग्रामीण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/एम.सी.एच. और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित संबंधित विशेषज्ञता | 2 महीने | 2 महीने |
| 6. | दुर्घटना | 1 महीना | 1 महीना |
| 7. | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद का अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त होम्योपैथी का निजी अस्पताल | 2 महीने | |

(ग) इंटर्न कॉलेज से जुड़े अस्पताल में संबंधित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियां करेगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

(1) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से निम्नलिखित से निपटने के लिए परिचित करने और उसे सक्षम बनाने के लिए चिकित्सा अभ्यास में निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा : -

(क) रोगियों के मामले लेने, जांच, निदान और होम्योपैथिक दवा के साथ उनके प्रबंधन जैसे सभी नियमित कार्य;

(ख) दैनिक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कार्य जैसे हीमोग्लोबिन का आकलन, संपूर्ण हेमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों की सूक्ष्म जांच, थूक की जांच, स्टूल की जांच, प्रयोगशाला आँकड़ों की व्याख्या और क्लिनिकल निष्कर्ष और एक निदान पर पहुंचना और सभी पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के लिए उपयोगी विभिन्न रोग स्थितियों की निगरानी करना;

(ग) नियमित वार्ड कार्यविधियों में प्रशिक्षण और रोगियों के आहार, आदतों और दवा अनुसूची के सत्यापन के संबंध में पर्यवेक्षण।

(2) इंटर्न को व्यवहारिक रूप से सर्जरी से परिचित होने और उससे निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा :-

(क) होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य सर्जिकल विकारों का नैदानिक परीक्षण, निदान और होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करते हुए उनका प्रबंधन;

(ख) फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन, तीव्र पेटदर्द जैसी कुछ सर्जिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन;

(ग) इंटर्न प्री-ऑपरेटिव और पोस्टऑपरेटिव मैनेजमेंट में शामिल होंगे;

(घ) कान, नाक, गला, दंत समस्याओं, नेत्र संबंधी समस्याओं में सर्जिकल प्रक्रियाएं;

(ङ) बाह्य रोगी विभाग में सहायक उपकरणों के साथ आँख, कान, नाक, गला और अपवर्तक त्रुटि की परीक्षा; तथा

(च) सेप्टिक और एंटीसेप्टिक तकनीक, नसबंदी का व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(छ) स्थानीय एनेस्थेटिक तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग और एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग;

(ज) रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाएं, एक्स-रे की नैदानिक व्याख्या, इंट्रा वेनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी और इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम;

(झ) सर्जिकल प्रक्रियाएं और नियमित वार्ड तकनीक जैसे -

(i) ताजा चोटों की टांके लगाना;

(ii) घाव, जलन, अल्सर और इसी तरह की बीमारियों की ड्रेसिंग;

(iii) फोड़े का चीरा और जल निकासी;

(iv) सिस्ट को छांटना और;

(v) वेनसेक्शन;

(3) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से स्त्री रोग और प्रसूति से निपटने के लिए परिचित करने और उसे सक्षम बनाने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा :-

(क) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर समस्याएं और उनके उपचार, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल;

(ख) सामान्य और असामान्य प्रसव का प्रबंधन;

(ग) छोटी और बड़ी प्रसूति शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(घ) सभी नियमित कार्य जैसे मामले लेना, जांच, निदान और सामान्य स्त्रीरोग संबंधी स्थितियों का होम्योपैथिक दवा के साथ प्रबंधन;

(ङ) महिलाओं में सामान्य कार्सिनोमाटस स्थितियों की जांच।

(4) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह बाल चिकित्सा से परिचित हो सके और अपने आपको उसमें सक्षम बना सके, अर्थात् :-

(क) टीकाकरण पाठ्यक्रम के साथ-साथ नवजात शिशुओं की देखभाल;

(ख) महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा समस्याएं और उनका होम्योपैथिक प्रबंधन;

(5) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह सामुदायिक चिकित्सा से परिचित हो सके और अपने आपको उसमें सक्षम बना सके, अर्थात् :-

(क) पोषण संबंधी विकार, टीकाकरण, संक्रामक रोगों के प्रबंधन आदि सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का पाठ्यक्रम;

(ख) परिवार कल्याण योजना पाठ्यक्रम;

(ग) सभी स्तरों पर केंद्र सरकार के सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम

(घ) महामारी / स्थानिक / महामारी रोगों के मामलों में होम्योपैथिक प्रोफिलैक्सिस और प्रबंधन।

(6) (क) इंटर्न को सभी आपातकालीन स्थितियों से परिचित होने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और हताहत और आघात के मामलों की पहचान और उनके प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल के हताहत अनुभाग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए और ऐसे मामलों को चिन्हित अस्पतालों को भेजने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ख) प्रोजेक्ट कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :-

क) प्रत्येक इंटर्न बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) IV में प्राप्त अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू करेगा।

ख) इंटर्नशिप के पहले महीने के भीतर विषय (नैदानिक/समुदाय/शिक्षा) के शीर्षक का चयन करना इंटर्न की जिम्मेदारी होगी और वह इसके बारे में प्रिंसिपल द्वारा आवंटित गाइड/मेंटर को सूचित करेगा।

ग) प्रोजेक्ट तीन चरणों, योजना (तीन महीने), डेटा संग्रह (तीन महीने) और अंतिम रूप देने और लिखने (तीन महीने) के माध्यम से चलेगी।

घ) लेखन अनुसंधान पद्धति पर पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले प्रारूप के अनुसार होगा और न्यूनतम एक हजार पांच सौ शब्दों का होगा। इसे टाइप किया जाएगा और स्पाइरल बॉन्ड फॉर्म के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी जमा किया जाएगा।

ङ) प्रोजेक्ट बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) IV छात्रों के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ समाप्त होगा।

च) प्राचार्य प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए एक शिक्षक को नियुक्त करेंगे जो निम्नलिखित के संबंध में होगा :

i. विचार की मौलिकता

ii. विचारों और डिजाइनों को तैयार करने में वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया गया

iii. विश्लेषण

iv. परिणाम और निष्कर्ष

v. लेखन के गुण

vi. ग्रेड ए (70% और अधिक), बी (60 - 70%), सी (50-60%) और डी (50% से कम) तक होंगे।

(ग) प्रोजेक्ट का शीर्षक और प्राप्त ग्रेड बताते हुए इंटर्न को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(15) **ईलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक/लॉगबुक -**

(i) एक इंटर्न के लिए निर्दिष्ट ई-लॉगबुक/लॉगबुक में दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई/सहायता/देखी गई प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड का अनुरक्षण अनिवार्य होगा और इंटर्न काम का एक रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा, जो कि चिकित्सा अधिकारी या यूनिट या विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके तहत वह काम करता है।

(ii) इंटर्नशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में डीन/प्रिंसिपल/निदेशक को संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ई-लॉगबुक/लॉगबुक प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, इंटर्नशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के किसी भी या सभी विषयों में उसके प्रदर्शन को रद्द किया जा सकता है।

(iii) संस्था पूर्ण और प्रमाणित लॉग बुक/लॉगबुक की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखेगी और सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(16) **इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन –**

(1) मूल्यांकन प्रणाली, इस उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करते हुए एक इंटर्न के कौशल का आकलन करेगी ताकि इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सीखने से इंटर्न अपने वास्तविक अभ्यास में इसे संचालित करने में सक्षम होंगे।

(2) प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को फॉर्म -1 में जमा की जाएगी।

(3) प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने सहित अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप का एक वर्ष पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख संबंधित पोस्टिंग के अंत में विभाग प्रमुख द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित फॉर्म -1 में सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का आकलन करेंगे और यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो इंटर्न को सात कार्य दिवसों के भीतर फॉर्म-2 में इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(4) यदि फॉर्म-2 के अनुसार, किसी भी विभाग में मूल्यांकन में पंद्रह अंक से कम या पचास प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर किसी इंटर्न के प्रदर्शन को असंतोषजनक घोषित किया जाता है, तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत की अवधि के लिए संबंधित विभाग में पोस्टिंग दोबारा करना आवश्यक होगा।

(5) इंटर्न को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, संबंधित विभाग के प्रमुख और संस्थान के प्रमुख को अलग से मूल्यांकन के संचालन और अंक प्रदान करने के, किसी भी आयाम के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, और ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, संस्था के प्रमुख संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से शिकायत का निवारण और निपटान करेंगे।

(17) **इंटर्न के लिए अवकाश** -

(i) एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के दौरान पंद्रह दिनों के अवकाश की अनुमति है।

(ii) पंद्रह दिनों से अधिक की किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(18) **इंटर्नशिप की पूर्णता :** (1) यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इंटर्नशिप शुरू करने या इंटर्नशिप के दौरान ब्रेक लेने में कोई देरी होती है, तो ऐसे मामलों में, इंटर्नशिप की अवधि चतुर्थ (अंतिम) प्रोफेशनल बी.एच.एम.एस.योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से अधिकतम 24 महीने के भीतर पूरी की जाएगी तथा ऐसे मामलों में, छात्र संस्थान के प्रमुख से लिखित रूप में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्व अनुमति लेगा

(2) अनुमति पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच करने और अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करने के लिए संस्था / कॉलेज के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी;

(3) इंटर्नशिप में फिर से शामिल होने के दौरान, छात्र को सहायक दस्तावेजों और अपने आवेदन के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र जमा करना होगा।

(19) **शैक्षणिक कैलेंडर**: विश्वविद्यालय, संस्थान/कॉलेज इन विनियमों में अनुलग्नक II में निर्दिष्ट अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर के टेम्पलेट के अनुसार एक विशेष बैच का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे छात्रों को परिचालित किया जाएगा, संबंधित वेबसाइटों पर होस्ट किया जाएगा और तदनुसार पालन किया जाएगा।

(20) **ट्यूशन शुल्क** - संबंधित राज्य शुल्क विनियमन समिति द्वारा नियत किए गए और निर्धारित ट्यूशन शुल्क के रूप में, केवल साढ़े चार साल की अध्ययन अवधि के लिए शुल्क लिया जाएगा और परीक्षा (परीक्षाओं) में अनुत्तीर्ण होने के मामले में, अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी अन्य कारण से और उसी संस्थान में इंटर्नशिप करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, (होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड)

[विज्ञापन-III/4/असा./453/2022-23]

## परिशिष्ट-ए

(विनियम 5 का उप-विनियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (जेड.सी.) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट विकलांगता" से संबंधित अनुसूची निम्नानुसार प्रदान करती है:-

**1. शारीरिक विकलांगता -**

(*क*) लोकोमोटर विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं गतिशीलता से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की अक्षमता), सहित -

(i) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है, लेकिन इससे पीड़ित है -

क) हाथों या पैरों में सनसनी की हानि के साथ-साथ, संवेदना की हानि और आँख और पलक में पक्षाघात लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;

ख) प्रकट विकृति और पक्षाघात लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना, ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अधिक आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग ठीक" तदनुसार माना जाएगा।

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है।

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है।

(iv) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह है जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है, जो उन्हें मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकता है। यह कंकाल की मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है।

(v) "एसिड अटैक विक्टिम" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंककर हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(*ख*) **दृश्य हानि -**

(i) "अंधापन" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति के पास सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

क) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, या

ख) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम दृश्य तीक्ष्णता, या

ग) 10 डिग्री से कम के कोण को अंतरित करने वाले दृष्टि क्षेत्र की सीमा।

(ii) "कम दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात् :-

क) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक बेहतर संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में; या

ख) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक अंतरित करना।

(*ग*) **श्रवण बाधित** -

(i) "बधिर" का अर्थ दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 70 डी.बी. श्रवण हानि वाले व्यक्तियों से है;

(ii) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 60 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति

(*घ*) "बोली और भाषा अक्षमता" का अर्थ जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से बोली और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली लेरिंजेक्टॉमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता है;

(*ङ*) बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या को हल करने) और मूल व्यवहार, जिसमें हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं, दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की स्थिति द्वारा पारिभाषित होती है -

(i) "सीखने की विशिष्ट अक्षमता" का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित प्रसंस्करण में कमी है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमताओं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ii) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में प्रकट होती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

2. "मानसिक बीमारी" का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से क्षीण करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के रुके हुए या अधूरे विकास के कारण, एक उतपन्न स्थिति है,

**3. निम्नलिखित के कारण हुई विकलांगता -**

(*क*) **पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे -**

(i) "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक इनफ्लेमेटरी, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति से चिह्नित होता है, मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है जो मस्तिष्क के बेसल गैन्गिलया के डीजनरेशन और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन कमी से जुड़े होते हैं।

(*ख*) **रक्त विकार -**

(i) "हीमोफिलिया" का अर्थ एक विरासत में मिली बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का बनाने की क्षमता के नुकसान या हानि की विशेषता होती है, ताकि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सके,

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ विरासत में मिले विकारों के एक समूह से है जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति की विशेषता परिलक्षित करता है।

(iii) "सिकल सेल डिजीज" का अर्थ है हेमोलिटिक डिसऑर्डर जो क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है। "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन रिलीज होता है।

4. बधिर, अंधापन सहित बहु विकलांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक), जिसका अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

5. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी।

## परिशिष्ट -बी

## (विनियम 5 का उप-विनियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत "निर्दिष्ट विकलांगता" के साथ छात्रों के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश।

1. "विकलांगता का प्रमाण पत्र" विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति में "निर्दिष्ट विकलांगता" की सीमा का मूल्यांकन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित संख्या एस.ओ. 76 (ई), दिनांक 4 जनवरी, 2018 के तहत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से" दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3. निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बेंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।

4. 'शारीरिक रूप से विकलांग' (पी.एच.) शब्द के स्थान पर 'विकलांग व्यक्ति' (पी.डब्ल्यू.डी.) शब्द का प्रयोग किया जाना है।

**तालिका-18**

| क्र.सं. | अक्षमता की कोटि | अक्षमता का प्रकार | विशिष्ट अक्षमता | अक्षमता का विस्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (5) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए योग्य, पी.डब्ल्यू.डी. कोटा के लिए अयोग्य | बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस .) पाठ्यक्रम के लिए योग्य, पी.डब्ल्यू.डी. कोटा के लिए योग्य | पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शारीरिक अक्षमता | (क) विशिष्ट अक्षमताओं सहित लोकोमोटर अक्षमता (ए से एफ) | (क) लेप्रोसी से ठीक हुआ व्यक्ति* | 40% से कम विकलांगता | 40-80% विकलांगता- 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी अक्षमता का कार्य सहायक उपकरणों की सहायता करेगा, यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, यह देखने के लिए कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता पर्याप्त मोटर है। | 80% से अधिक विकलांगता |
| | | | (ख) सेरेब्रल पाल्सी** | | | |
| | | | (ग) बौनापन | | | |
| | | | (घ) मस्कुलर डिस्ट्रोफी | | | |
| | | | (ङ) एसिड अटैक के शिकार | | | |
| | | | (च) अन्य* ** जैसे कि एम्पुटेशन, पोलियोमीलिटिस , आदि। | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | * उंगलियों और हाथों में संवेदनाओं के नुकसान, विच्छेदन, साथ ही आंखों की भागीदारी और संबंधित सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।<br><br>** दृष्टि, श्रवण, संज्ञानात्मक कार्य आदि की हानि पर ध्यान दिया जाना चाहिए और संबंधित सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।<br><br>*** बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए योग्य माने जाने के लिए दोनों हाथ बरकरार हैं, बरकरार संवेदनाओं के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा आवश्यक है। | | | |
| | | (ख) दृश्य हानि (*) | (क) अंधापन<br>(ख) कम दृष्टि | 40% से कम विकलांगता(जैसे कोटि<br>'<br>ओ<br>(10%)'<br>I(20%)'<br>& II (30%) | | 40% के बराबर या अधिक विकलांगता<br>(जैसे कि कोटि III तथा<br>उपर) |
| | | (ग) श्रवण हानि@ | (क) बहरापन<br>(ख) ऊँचा सुनना | 40% से कम विकलांगता | | 40% के बराबर या अधिक विकलांगता |
| | | | (*)40% से अधिक दृष्टिबाधित/दृश्य निःशक्तता वाले व्यक्तियों को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी दृश्य विकलांगता को उन्नत कम दृष्टि वाले उपकरण जैसे दूरबीन / आवर्धक की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है।<br>@ 40% से अधिक श्रवण अक्षमता वाले व्यक्तियों को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते कि श्रवण अक्षमता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है।<br>इसके अलावा, व्यक्ति का स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए। | | | |
| | | (घ) बोली तथा भाषा अक्षमता | ऑर्गेनिक/न्यूरोलॉजिकल कारण | 40% से कम विकलांगता | | 40% के बराबर या अधिक विकलांगता |

| | | |
|---|---|---|
| | | बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, स्पीट इंटीलेजिबिलिटी अफेक्टेड (एस.आई.ए.) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए पात्र होने के लिए (जो 40% से कम के अनुरूप होगा)। इस स्कोर से परे व्यक्ति बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।<br><br>40% तक अफासिया क्वोटेंट(ए.क्यू.) वाले व्यक्ति बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए पात्र हो सकते हैं। लेकिन इससे परे वे न तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र होंगे और न ही उनके लिए कोई आरक्षण होगा। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | बौद्धिक अक्षमता | | (क) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात)<br># | # वर्तमान समय में एस.एल.डी. की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई मापक पैमाना उपलब्ध नहीं है, इसलिए 40% का कट-ऑफ पक्षपातपूर्ण है और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है। | | |
| | | | | 40% से कम विकलांगता | 40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक लेकिन चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचारात्मक/सहायक प्रौद्योगिकी/सहायता/ ढांचागत परिवर्तन की मदद से मूल्यांकन की गई सीखने की क्षमता पर आधारित होगा। | |
| | | | (ख) आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार | अनुपस्थित या मामूली अक्षमता, सिंड्रोम के अनुसार(आई.एस.ए.ए. के अनुसार 40-60% अक्षमता)<br>जहाँ व्यक्ति को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा योग्य माना जाता है। | वर्तमान समय में, वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है।<br>हालांकि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है। | 60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता के बराबर या उससे अधिक और/या यदि व्यक्ति को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा अयोग्य माना जाता है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | मानसिक व्यवहार | | मानसिक बीमारी | अनुपस्थित या मामूली विकलांगता : 40% से कम (आई.डी.ई.ए.एस. के तहत्) | वर्तमान समय में, मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा को स्थापित करने के लिए वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है।<br>हालांकि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है। | 40% के बराबर या उससे अधिक<br>विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य माना जाता है। "दवा अभ्यास करने के लिए फिटनेस" के लिए मानकों का मसौदा तैयार किया जा सकता है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | के कारण हुई विकलांगता | (ए) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां | (i) मल्टीपल स्क्लेरोसिस | 40% से कम विकलांगता | 40%80% विकलांगता | 80% से अधिक विकलांगता |
| | | | (ii) पार्किंसनिज्म | | | |
| | | (बी) रक्त विकार | (i) हीमोफीलिया | 40% से कम विकलांगता | 40%80% विकलांगता | 80% से अधिक विकलांगता |
| | | | (ii) थैलेसीमिया | | | |
| | | | (iii) सिकल सेल रोग | | | |
| 5. | बहरापन अंधापन सहित कई विकलांगता | | उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक | उपरोक्त में से किसी की उपस्थिति के संबंध में, व्यक्तिगत मामलों में सिफारिशों पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सभी पर विचार करना चाहिए, अर्थात् दृश्य, श्रवण, बोली और भाषा की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, और कई अक्षमताओं के घटक के रूप में मानसिक बीमारी।<br>भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजन फार्मूला:<br>$\frac{a+b\ (90-a)}{90}$<br>(जहाँ विभिन्न अक्षमताओं के लिए a = अक्षमता% का अत्यधिक मान तथा b = अक्षमता% का निम्नतर मान) अनुशंषित है।<br>जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक अक्षमता की स्थिति मौजूद हो, तो विकलांगता की गणना के लिए। इस फॉर्मूले का उपयोग कई विकलांगता वाले | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | मामलों में किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट विकलांगता के अनुसार प्रवेश और/या आरक्षण के संबंध में सिफारिशें की जा सकती हैं। |

**टिप्पणी 1 :** पी.डब्ल्यू.डी. श्रेणी के तहत चयन के लिए, उम्मीदवारों को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामित विकलांगता मूल्यांकन बोर्डों में से एक से काउंसलिंग की निर्धारित तिथि से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**टिप्पणी** 2 : यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जाती हैं, तो सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

**अनुलग्नक -I**

**फाउंडेशन पाठ्यक्रम**

**(**विनियम 7 के उप-विनियम 1 का खंड (ख) देखें**)**

**पृष्ठभूमि**

भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के लिए नए प्रवेशकों को एक बुनियादी दार्शनिक अभिविन्यास, एक एकीकृत और समग्र तरीके से सोचने की आवश्यकता, बेडसाइड पर एक टीम में कार्य करने की क्षमता और जीवन भर सीखने के पैटर्न में कुछ जोड़ते रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। होम्योपैथी, हालांकि 225 वर्ष से अधिक पुरानी है, एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में अपेक्षाकृत युवा है और इसने कई कारणों से कई नकारात्मक सामुदायिक जोखिम को आकर्षित किया है। भारत में, हम जानते हैं कि जो छात्र होम्योपैथिक कॉलेज के परिसर में प्रवेश करते हैं, वे शायद ही कभी अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं। यह अक्सर अंतिम विकल्प के रूप में एक अभ्यास होता है या जिसे एक 'चिकित्सा' डिग्री के लिए एक कदम के रूप में अपनाया जाता है। इसलिए, नए प्रवेशकों की मानसिकता शायद ही कभी सूचित, सकारात्मक और आत्म-पुष्टि करने वाली होती है।

हालांकि, हम जानते हैं कि सभी चिकित्सा विषयों की तरह, होम्योपैथी प्रशिक्षण में डोमेन का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है जिसमें अस्पताल, समुदाय, क्लीनिक आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स में मानवीय बातचीत और पारस्परिक संबंधों के संपर्क शामिल हैं। प्रशिक्षण गहन है और महान प्रतिबद्धता, लचीलापन और आजीवन शिक्षण अपेक्षित करता है। नए वातावरण के लिए अनुकूलन और परिचितता की अवधि बनाना वांछनीय है। इसमें पाठ्यक्रम संरचना, सीखने के तरीकों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और सहकर्मी से बातचीत का परिचय शामिल होगा जो जूनियर कॉलेज से होम्योपैथिक कॉलेज में उनके सहज स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

इसे बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम की शुरुआत में समर्पित 10 दिनों के विशेष "फाउंडेशन कोर्स" के माध्यम से प्राप्त करने की योजना है, ताकि छात्रों को विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में उन्मुख और संवेदनशील बनाया जा सके।

**लक्ष्य और उद्देश्य**

होम्योपैथी के फाउंडेशन कोर्स के व्यापक लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. छात्रों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं की ओर उन्मुख करना;
2. उनमें मास्टर हैनीमैन द्वारा परिभाषित 'मिशन' के प्रति सचेत जागरूकता पैदा करना;
3. इस पेशेवर पाठ्यक्रम से गुजरने और मरीजों की देखभाल करने के लिए आवश्यक कुछ बुनियादी, लेकिन महत्वपूर्ण कौशल से उन्हें लैस करना;
4. उनके संचार, भाषा, कंप्यूटर और सीखने के कौशल को बढ़ाना;
5. साथियों और शिक्षकों के बीच बातचीत का अवसर प्रदान करना और विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के लिए एक अभिविन्यास शुरू करना।

**उद्देश्य**

(*क*) **फाउंडेशन कोर्स के उद्देश्य निम्नलिखित हैं** :

शिक्षार्थियों को निम्नलिखित के प्रति उन्मुख करना :

(i) चिकित्सा पेशा और समाज में एक होम्योपैथ का मिशन

(ii) बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(iii) संस्थान का विजन और मिशन

(iv) समग्र और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा और इसे प्राप्त करने और बनाए रखने के तरीके

(v) चिकित्सा और होम्योपैथी का इतिहास और दुनिया में होम्योपैथी की स्थिति

(vi) चिकित्सा नैतिकता, दृष्टिकोण और व्यावसायिकता

(vii) देश में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियाँ

(viii) स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और इसकी वितरण

(ix) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं और नीतियां

(x) प्राथमिक देखभाल के सिद्धांत (सामान्य और समुदाय आधारित देखभाल)

(xi) मेंटरशिप पाठ्यक्रम की अवधारणा

(*ख*) **कौशल बढ़ाने की आवश्यकता की सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में सक्षम करें**:

(i) भाषा

(ii) बुनियादी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का अवलोकन, प्रलेखन और समझ

(iii) पारस्परिक संबंध और टीम व्यवहार

(iv) विभिन्न उम्र और संस्कृतियों में संचार

(v) समय प्रबंधन

(vi) तनाव प्रबंधन

(vii) सूचना तकनीक का उपयोग

(*ग*) **निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करें**:

(i) प्राथमिक उपचार/आपातकालीन प्रबंधन

(ii) जीवन का मूलभूत आधार

(iii) सार्वभौमिक सावधानियां तथा टीकाकरण

(iv) रोगी की सुरक्षा और जैविक खतरे से सुरक्षा

(*घ*) **भाषा तथा कंप्यूटर कौशल प्रदान करना**

(i) स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम

(ii) अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम

(iii) कंप्यूटर कौशल

इन्हें विशेष बैच की जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है और फाउंडेशन पाठ्यक्रम के बाद अतिरिक्त कोचिंग जारी रखी जा सकती है।

**सामग्री और पद्धति**

पाठ्यक्रम सत्रों में चलाया जाएगा जो इंटरैक्टिव अवश्य होना चाहिए।

फाउंडेशन कोर्स के प्रमुख भागों में निम्नलिखित शामिल हैं :

**1) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम :**

इसमें छात्रों को आज के समय में होम्योपैथी और होमियोपैथ की भूमिका पर विशेष जोर देने के साथ नीचे उल्लिखित सभी भागों की ओर उन्मुख करना शामिल है।

**2) कौशल मॉड्यूल (बुनियादी) :**

इसमें बुनियादी जीवन समर्थन/आपातकालीन प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सार्वभौमिक सावधानियां और जैव चिकित्सा अपशिष्ट और सुरक्षा प्रबंधन जैसे कौशल सत्र शामिल हैं, जिन्हें रोगी की देखभाल के क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले छात्रों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है।

**3) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फील्ड दौरा:**

ये दौरे सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से देखभाल के वितरण के लिए उन्मुखीकरण प्रदान करते हैं, और इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों, रोगियों और उनके परिवारों के साथ बातचीत शामिल है।

**4) नैतिकता सहित पेशेवर विकास :**

यह व्यावसायिकता और नैतिकता की अवधारणा का परिचय है और एक चिकित्सक के आचरण पर हैनिमैन के प्रभाव से निकटता से संबंधित है। यह भाग छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि नैदानिक क्षमता, संचार कौशल और ठोस नैतिक सिद्धांत व्यावसायिकता की नींव हैं। यह अनैतिक और गैर-पेशेवर व्यवहार के परिणामों, ईमानदारी के मूल्य, अखंडता और सभी बातचीत में सम्मान की समझ भी प्रदान करेगा। जवाबदेही, परोपकारिता, उत्कृष्टता की खोज, सहानुभूति, करुणा और मानवतावाद जैसी व्यावसायिक विशेषताओं को भी इसमें संबोधित किया जाएगा। इसे लिंग, पृष्ठभूमि, संस्कृति, क्षेत्रीय और भाषा विविधता के लिए सम्मान और संवेदनशीलता पैदा करनी चाहिए। इसमें विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान भी शामिल होना चाहिए। यह छात्रों को स्वास्थ्य की देखभाल की टीम के हिस्से के रूप में अनुकंपा देखभाल और कामकाज की मूल अवधारणा से परिचित कराता है। यह छात्रों को एक व्यवहार के रूप में "सीखने" और सीखने के उपयुक्त तरीकों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

**5) भाषा / कंप्यूटर कौशल / शिक्षण कौशल :**

यह सत्र विविध पृष्ठभूमि और भाषा क्षमता वाले छात्रों को अंग्रेजी बोलने और लिखने, स्थानीय भाषा में प्रवाह और बुनियादी कंप्यूटर कौशल के प्रशिक्षण से गुजरने का अवसर प्रदान करने के लिए है। छात्रों को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों जैसे कि छोटे समूह चर्चा, कौशल प्रयोगशाला, सिमुलेशन, प्रलेखन और स्व-निर्देशित सीखने की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

**तालिका 19**

**छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा**

| **फाउंडेशन पाठ्यक्रम** | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **विषय** | **क्रियाकलाप का प्रकार** | **अवधि घंटों में** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | स्वागत और संस्थान के विजन/मिशन का परिचय | व्याख्यान | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | होम्योपैथी के प्रभाव को प्रदर्शित करने सहित समाज में होम्योपैथी और एक होमियोपैथ का मिशन और भूमिका | पारस्परिक चर्चा | 3 |
| 3. | बी.एच.एम.एस. अध्ययन पाठ्यक्रम तथा फर्स्ट ईयर फैकल्टी का परिचय | प्रस्तुति | 1 |
| 4. | संस्थान/परिसर/सुविधाओं का दौरा | पैदल दौरा | 2 |
| 5. | समग्र और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा | पारस्परिक चर्चा | 2 |
| 6. | चिकित्सा और होम्योपैथी का इतिहास और दुनिया में होम्योपैथी की स्थिति | प्रस्तुति | 2 |
| 7. | वयस्क सीखने के सिद्धांत | पारस्परिक चर्चा | 2 |
| 8. | स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और वितरण | पीएचसी/शहरी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा और कर्मचारियों के साथ बातचीत | 3 |
| 9. | देश में मान्यता प्राप्त विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ और बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की अवधारणा | प्रस्तुति | 1 |
| 10. | प्राथमिक सामुदायिक देखभाल | परस्पर क्रिया | 2 |
| 11. | जीवन का मूल आधार | वीडियो प्रदर्शन और अभ्यास | 4 |
| 12. | संचार - विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्थापन में इसकी प्रकृति और महत्व | परिदृश्यों के साथ व्यावहारिक और पर्यवेक्षण के साथ अधिनियमन | 4 |
| 13. | चिकित्सा नैतिकता - रोगी देखभाल बढ़ाने में भूमिका | भूमिका निभाना | 2 |
| 14. | पेशेवर कौन है? | किसी विषय पर दो पक्षों के बीच बहस | 2 |
| 15. | समय प्रबंधन | व्यावहारिक पाठ | 3 |
| 16. | प्राथमिक चिकित्सा - सिद्धांत और तकनीक | प्रदर्शन और प्रस्तुति | 2 |
| 17. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं और नीतियां | प्रस्तुति | 1 |
| 18. | चिकित्सा पेशे में एक मेडिकल छात्र के लिए मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व<br>खेलकूद और पाठ्येतर गतिविधियों के महत्व सहित तनाव प्रबंधन | व्यावहारिक प्रदर्शन / वीडियो | 4 |
| 19. | सलाह की अवधारणा और अभ्यास | पारस्परिक चर्चा | 4 |
| 20. | संवैधानिक मूल्य, समानता, लैंगिक संवेदनशीलता और रैगिंग नीति | प्रस्तुति और पारस्परिक चर्चा | 3 |
| 21. | सार्वभौमिक सावधानियां और टीकाकरण | प्रस्तुति के बाद चर्चा | 1 |
| 22. | होम्योपैथिक अभ्यास में अवलोकन और प्रलेखन का महत्व | वीडियो अवलोकन के माध्यम से अभ्यास करना | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | सामूहिक कार्य | खेल और डीब्रीफिंग | 2 |
| 24. | रोगी सुरक्षा और बायोमेडिकल खतरे | वीडियो और प्रस्तुति | 1 |
| 25. | कंप्यूटर कौशल | वर्ड, एक्सेल और पी.पी.टी. के बुनियादी उपयोग का प्रदर्शन और अभ्यास | 2 |
| 26. | भाषा कौशल | भाषा प्रयोगशालाएँ | 2 |
| | कुल योग | | **60** |

अनुलग्नक –II

**भाग-क**

**शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना**

**प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस).(18 महीने)**

| **क्र.सं.** | **तारीख/अवधि** | **अकादमिक क्रियाकलाप** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अक्टूबर का पहला कार्य दिवस | पाठ्यक्रम का प्रारंभ |
| 2. | 10 कार्य दिवस | फाउंडेशन पाठ्यक्रम |
| 3 | पहला आवधिक मूल्यांकन | जनवरी – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-1) |
| 4. | मार्च का चौथा सप्ताह | प्रथम टर्मिनल जाँच – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-1) |
| 5 | दूसरा आवधिक मूल्यांकन | जून – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-2) |
| 6. | सितंबर का पहला सप्ताह | द्वितीय टर्मिनल जाँच – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-2) |
| 7. | तीसरा आवधिक मूल्यांकन | नवंबर – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-3) _ |
| 8. | फरवरी के दूसरे सप्ताह से मार्च | विश्वविद्यालय परीक्षा |
| 9. | ***अप्रैल का पहला कार्य दिवस*** | ***द्वितीय व्यावसायिक वर्ष का प्रारंभ*** |
| | **टिप्पणी** -<br>1. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच का अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करना होगा। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना है।<br>2. अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थान/कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार समय को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा।<br>3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित किया जा सकता है। | |

**भाग-ख**

**शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना**

**द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) (12 महीने)**

| **क्र.सं.** | **तारीख/अवधि** | **अकादमिक क्रियाकलाप** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अप्रैल का पहला कार्यदिवस | पाठ्यक्रम का प्रारंभ |
| 2. | जुलाई का चौथा सप्ताह | प्रथम आवधिक – आंतरिक मूल्यांकन (पी.टी.-1) |
| 3. | सितंबर का चौथा सप्ताह | प्रथम टर्मिनल परीक्षा – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-1) |
| 4. | दिसंबर का चौथा सप्ताह | द्वितीय आवधिक – आंतरिक मूल्यांकन (पी.टी.-2) |
| 5. | फरवरी का तीसरा सप्ताह | विश्वविद्यालय परीक्षा |
| 6. | ***अप्रैल का पहला कार्यदिवस*** | ***तृतीय/चतुर्थ/इंटर्नशिप व्यावसायिक वर्ष का प्रारंभ*** |
| | **टिप्पणी** -<br>1. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच का अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करना होगा। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना है।<br>2. अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थान/कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार समय को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा।<br>3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित किया जा सकता है। | |

**अनुलग्नक-III**

**उपस्थिति रखरखाव के लिए दिशानिर्देश**

**(सिद्धांत/व्यावहारिक/नैदानिक/गैर-व्याख्यान घंटे)**

होम्योपैथी में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों/कॉलेजों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। हालांकि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण गतिविधियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

**(1)** उपस्थिति को संचयी क्रमांकन तरीके में चिह्नित किया जाना है:

(*क*) उपस्थिति के मामले में, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 … तथा इसी रूप में चिह्नित किया जाना है;

(*ख*) अनुपस्थिति के मामले में, इसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए;

(*ग*) उदाहरण : P P P P A P P P A A P P P… के बदले इसे (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8,9…) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

**(2)** उपस्थिति के लिए 'पी' को चिह्नित करने से सख्ती से बचें।

**(3)** थ्योरी और प्रैक्टिकल/क्लिनिकल/गैर-व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाए जाने हैं।

**(4)** सत्र या पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, अंतिम संख्या को कुल उपस्थिति के रूप में

लिया जाएगा।

**(5)** छात्र के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रिंसिपल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

**(6)** कई शर्तों के मामले में, पाठ्यक्रम के अंत में सभी सत्र उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना है और क्लिनिकल और गैर-व्याख्यान घंटों सहित सिद्धांत और व्यावहारिक के लिए अलग से प्रतिशत की गणना की जानी है।

[**टिप्पणी** : * यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

**प्रपत्र 1**

[विनियम 16 का उपनियम (2) तथा (3) देखें]

(महाविद्यालय का नाम तथा पता)

बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम

विभाग----------

**उपस्थिति तथा इंटर्नशिप के मूल्यांकन का प्रमाणपत्र**

1) **इंटर्न का नाम :**

2) **इंटर्नशिप के दौरान उपस्थिति**

प्रशिक्षण की अवधि ---------- से ---------- तक

(*क*) कार्यदिवसों की संख्या :

(*ख*) उपस्थिति वाले कार्यदिवसों की संख्या :

(*ग*) अवकाश वाले कार्यदिवसों की संख्या :

(*घ*) अनुपस्थिति वाले कार्यदिवसों की संख्या :

**इंटर्नशिप का मूल्यांकन**

| **क्र.सं.** | | | **कोटि** | **प्राप्त अंक** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | सामान्य | अधिकतम 10 |
| | क. | | जिम्मेदारी तथा समयबद्धता | (____) 2 में से |
| | ख. | | अधीनस्थों, सहकर्मियों तथा वरीयों के साथ व्यवहार | (____) 2 में से |
| | ग. | | दस्तावेजीकरण की योग्यता | (____) 2 में से |
| | घ. | | चरित्र तथा आचरण | (____) 2 में से |
| | ङ. | | अनुसंधान की योग्यता | (____) 2 में से |
| 2. | | | नैदानिक | अधिकतम 20 |
| | क. | | विषय के मूलभूत सिद्धांतों में कार्यकुशलता | (____) 4 में से |
| | ख. | | बेडसाइड आचरण तथा रोगी के साथ संबंध | (____) 4 में से |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ग. | | प्राप्त की जाने वाली नैदानिक कुशाग्रता और योग्यता | (____) 4 में से |
| | | i. | कार्यविधियों का निष्पादन करके | |
| | | ii. | कार्यविधियों में सहायता देकर | (____) 4 में से |
| | | iii. | कार्यविधियों का पर्यवेक्षण करके | (____) 4 में से |
| कुल प्राप्त स्कोर | | | | (____) 30 में से |

**अंकों का प्रदर्शन ग्रेड** [ ]

खराब < 8, औसत से कम 9-14, औसत 15-21, अच्छा 22-25, उत्कृष्ट 26 तथा अधिक

**टिप्पणी** : असंतोषजनक स्कोर (15 से कम) प्राप्त करने वाले इंटर्न को संबंधित विभाग में पोस्टिंग की कुल अवधि का एक तिहाई दोबारा करना आवश्यक होगा।

तारीख :

स्थान :

इंटर्न का हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

**प्रपत्र 2**

[विनियम 16 का उप-विनियम (3) तथा (4) देखें]

( महाविद्यालय का नाम तथा पता)

(बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम)

अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पाठ्यक्रम समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____(इंटर्न का नाम) जो, _____ (महाविद्यालय का नाम तथा पता), का इंटर्न है, ने _____ (महाविद्यालय का नाम तथा पता और तैनाती का स्थान) में निम्नलिखित विभागों में एक वर्ष _____ से _____ तक अपना अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरा किया है।

**तालिका 20**

| क्र.सं. | विभाग का नाम | प्रशिक्षण अवधि (से) (d d/m m /yyyy) | प्रशिक्षण अवधि (तक) (d d/m m /yyyy) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

इंटर्नशिप की अवधि के दौरान छात्र का आचरण_____

तारीख :

स्थान :

इंटर्नशिप प्रभारी/प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक का हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुहर

**प्रपत्र-3**

{विनियम 13 का उप-विनियम (4) तथा (7) देखें}

श्री / सुश्री _____का होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय _____से होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय _____ प्रव्रजन।

1. प्रथम बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि
2. प्रथम बी.एच.एम.एस. विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि
3. आवेदन की तिथि
4. विमुक्त करने वाले महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
5. विमुक्त करने वाले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
6. स्वीकार करने वाले महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
7. स्वीकार करने वाले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
8. विमुक्त करने वाला महाविद्यालय जहाँ अवस्थित है, उस राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
9. शपथपत्र, जिसमें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ली गई है कि "द्वितीय व्यावसायिक विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से पहले मैं स्थानांतरित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बी.एच.एम.एस पाठ्यक्रम की मौजूदा कक्षा में पूरे बारह महीने अध्ययन करूंगा" – हाँ /नही
10. प्रव्रजन करने का संक्षिप्त कारण(कृपया साक्ष्य की प्रति संलग्न करें) – हाँ / नही
11. स्थायी पता: _____".

********

## NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

**F. No. 3-34/2021/NCH/HEB/CC/10758**.—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) and clauses (h), (i), (q), (s) and (t) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of Homoeopathy (Degree course) B.H.M.S. Regulations, 1983, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These regulations may be called National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Regulations- 2022.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(ii) "Annexure" means an Annexure appended to these regulations;

(iii) "Appendix" means an Appendix appended to these regulations;

(iv) "Commission" means the National Commission for Homoeopathy constituted under section 3 of this Act;

(v) "Electives" means the course of study devised to enrich the educational expression of the student.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course**.- The Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) shall produce Graduates, having profound knowledge of Homoeopathy with contemporary advancement in the field, supplemented with knowledge of scientific and technological advancement in modern health science and related technology along with extensive practical training, be able to function as an efficient holistic health care practitioner in health care service in the urban and rural areas.

4. **Eligibility criteria for admission and manner of admissions.** -(1) The eligibility for admission in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course shall be, namely:-

(a) the candidate shall have passed 10+2 or its equivalent examination from any recognised Board with Physics, Chemistry, Biology and have obtained minimum of fifty percent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology in case of student belonging to general category and forty percent. marks in case of student belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that in respect of person with disability specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the qualifying marks in the examinations shall be forty-five percent. in case of General category and forty percent. in case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) Biology/Biotechnology studied as Additional Subject at 10+2 level also shall not be considered for such admission:

(c) Candidate passed 10+2 from Open School or as Private candidate shall not be eligible to appear for National Eligibility-cum-Entrance Test.

(d) No candidate shall be considered for admission in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course unless the candidate attains the age of seventeen years on or before the 31st day of December of the year of admission in the first year of the Course;

(2) There shall be a uniform Entrance Examination for all Homoeopathy Medical Institution namely National Eligibility-cum- Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in medical institution in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that for foreign national candidate, any other equivalent qualification approved by the Central Government may be allowed for admission and sub- regulation (2) of regulation 4 shall not be applicable in this behalf.

(3) No candidate obtaining less than marks at 50th percentile in the National Eligibility-cum-Entrance Test for undergraduate course conducted for the said academic year shall be considered for such admission:

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes obtain marks not less than 40th percentile and the candidate belonging to person with the disability as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) obtains the marks not less than 45th percentile in case of General category and not less than 40th percentile in case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for admission.

Provided further that the Commission may, in consultation with the Central Government lower the marks required for admission to undergraduate course for candidate belonging to respective category and marks so lowered by the Commission shall be applicable for that academic year.

(4) An All-India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidate shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility-cum-Entrance Test conducted for the academic year and the candidate within the respective category shall be considered for admission to undergraduate course from the said merit list.

(5) The seat matrix for admission in the Government institution, Government-aided institution and private Institution shall be fifteen percent. for all-India quota and eighty-five percent. for the State quota and Union territory quota as the case may be:

Provided that, -

(a) the all India quota for the purpose of admission to the Deemed University both Government and private shall be hundred percent.;

(b) The university and institute having more than fifteen percent. all India quota seat shall continue to maintain that quota;

(c) five percent. of the annual sanctioned intake capacity in Government and Government aided institution shall be filled up by candidate belonging to persons with disability as specified under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)

*Explanation*.- For the purposes of this regulation, the specified disability contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) specified in *Appendix "A"* and the eligibility of candidate to pursue a course in Homoeopathy with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in *Appendix "B"*.

(6) The designated authority for counseling of State and Union territory quota for admission to undergraduate course in medical institution in State and Union territory including institution established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the applicable rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(7) (a) The counselling for admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course for seats under all India quota as well as the all-medical institution established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government in this behalf;

(b) The counselling for admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course for hundred percent. seats of Deemed University both Government and Private shall be conducted by the authority designated by the Central Government, in this behalf.

(8) The admission shall be done;-

(a) through counseling except foreign nationals;

(b) by any means other than manner specified in these regulations shall not be approved and any institution found admitting the students in contravention of the provisions of these regulations shall be denied permission for taking admission for subsequent academic year;

(c) the medical institution shall have to submit the list of admitted students in the format decided by the Commission on or before six p.m. on the cutoff date for admission decided by it from time to time for verification;

(d) the medical institution shall approve the admission of the candidate except foreign national who has been allotted seat through counseling (Central, State or Union territory, as the case may be).

(9) The candidate who fails to obtain the minimum eligibility marks as referred to under sub-regulation (3) shall not be admitted to undergraduate course in the said academic year.

(10) No authority or medical institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure specified in these regulations and any admission made in contravention of these regulations shall be cancelled by the Commission forthwith.

(11) The authority or medical institution which grants admission to any student in contravention of the provisions of these regulations shall be dealt as specified under the Act.

(12) The medical institution shall send the list of admitted students to the Commission within one month of his admission and the Commission may verify the medical institution to ensure the compliance of the provisions of the regulations at any time.

**5. Duration of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course** -The duration of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall be five years and six months as specified in the table below, namely:-

**Table-1**

| Serial Number | Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course | Duration |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (1) | First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) | Eighteen Months; |
| (2) | Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) | Twelve Months; |
| (3) | Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) | Twelve Months; |
| (4) | Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) | Twelve Months; |
| (5) | Compulsory Rotatory Internship | Twelve Months. |

**6. Degree to be awarded**. -The candidate shall be awarded Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Degree after passing all the examinations and completion of the laid down course of study extending over the laid down period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

**7. Pattern of study**. -The Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course shall consist of main programme and electives and the pattern of study shall follow the following manner, namely:-

(1) Main programme :-

(a) after admission, the student shall be inducted to the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course through a Foundation Programme not less than ten working days/sixty hours based on the 'Content for Foundation programme' which intends to introduce newly admitted student to Homoeopathy system of medicine and skills required to make him well aware of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course he is going to undergo for next five years and six months.

(b) during the Foundation Programme, the student of Homoeopathy shall learn history of Homoeopathy, get oriented with development of homoeopathic science across the globe, understanding on improvising interpersonal communication skills, management of stress and time, basic life support and first-aid along with other subjects as per syllabus specified in Annexure -I

(c) total teaching hours for first professional session shall be not less than two thousand one hundred and six (2106) while for second, third and fourth professional session, a minimum of one thousand four hundred and four (1404) hours teaching in each professional session to complete.

(d) working hour may be increased by the University or medical institution as per requirement to complete the stipulated period of teaching and requisite activity.

*Explanation*. - For the purposes of this sub-regulation, -

(a) "Lectures" means Didactic teaching such as classroom teaching,

(b) Non – lecture includes Practical or Clinical and Demonstrative teaching and the Demonstrative teaching includes Small group teaching or Tutorials or Seminars or Symposia or Assignments or Role play or Drug Picture presentation or Pharmacy training or Laboratory training or Dissection or Field visits or Skill lab training or Integrated learning or Problem based learning or Case based learning or Early clinical exposure or Evidence based learning etc. as per the requirement of the subject and in Non-lectures, the Clinical or Practical part shall be seventy percent. and demonstrative teaching shall be thirty per cent.

(e) new department and subject like fundamentals of Psychology, Yoga, essentials of Modern Pharmacology and Research Methodology and Biostatistics are introduced in degree course to provide holistic and integrated knowledge of the health science along with development of research aptitude.

(f) the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall consist of following Departments/Subjects, namely : -

**Table 2**

| Serial Number | Name of Department |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | Homoeopathic Materia Medica; |
| 2 | Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology; |
| 3 | Homoeopathic Pharmacy; |
| 4 | Homoeopathic Repertory and Case Taking; |
| 5 | Human Anatomy; |
| 6 | Human Physiology and Biochemistry; |
| 7 | Forensic Medicine and Toxicology; |
| 8 | Pathology and Microbiology; |
| 9 | Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics; |
| 10 | Surgery; |
| 11 | Gynaecology and Obstetrics; |
| 12 | Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology; |
| 13 | Yoga for health promotion; |

(g) The following subjects shall be taught in first professional session as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, namely:- -

**Table-3**

| Serial Number | Subject Code | Subject |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | HomUG-HMM-I | Homoeopathic Materia Medica; |
| 2 | HomUG-OM-I | Organon of Medicine and Homoeopathic philosophy and Fundamentals of Psychology; |
| 3 | HomUG-R-I | Homoeopathic Repertory and case taking; |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | HomUG-HP | Homoeopathic Pharmacy; |
| 5 | HomUG-AN | Human Anatomy; |
| 6 | HomUG-PB | Human Physiology and Biochemistry; |
| 7 | HomUG-Yoga I | Yoga for health promotion. |

(h) The second professional session shall ordinarily start after completion of first professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the Homoeopathy Education Board and approved by Commission, namely: -

**Table-4**

| Serial Number | Subject Code | Subject |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | HomUG-HMM-II | Homoeopathic Materia Medica; |
| 2. | HomUG-OM-II | Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy; |
| 3. | HomUG-R-II | Homoeopathic Repertory and case taking; |
| 4. | HomUG-FMT | Forensic Medicine and Toxicology; |
| 5. | HomUG-Path M | Pathology and Microbiology; |
| 6. | HomUG-Sur-I | Surgery; |
| 7. | HomUG-ObGy-I | Gynecology & Obstetrics; |
| 8. | Hom-UG PM-1 | Practice of Medicine; |
| 9. | HomUG-Yoga-II | Yoga for health promotion. |

(i) The third professional session shall ordinarily start after completion of second professional examination and following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, namely: -

**Table-5**

| Serial Number | Subject Code | Subject |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | HomUG-HMM-III | Homoeopathic Materia Medica; |
| 2 | HomUG-OM-III | Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy; |
| 3 | HomUG-R-III | Homoeopathic Repertory and case taking; |
| 4 | HomUG-PM-II | Practice of Medicine ; |
| 5 | HomUG-Mod.Phar | Essentials of Pharmacology; |
| 6 | HomUG-Sur-II | Surgery; |
| 7 | HomUG-ObGy-II | Gynecology and Obstetrics; |
| 8. | HomUG-CM-I | Community Medicine ; |
| 9. | HomUG-Yoga -III | Yoga for health promotion; |

(j) The fourth professional session shall ordinarily start after completion of third professional examination and following subject shall be taught as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, Namely:-

**Table-6**

| Serial Number | Subject Code | Subject |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | HomUG-HMM-IV | Homoeopathic Materia Medica; |
| 2 | HomUG-OM-IV | Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy; |
| 3 | HomUG-R-IV | Homoeopathic Repertory and case taking; |
| 4 | HomUG-PM-III | Practice of Medicine; |
| 5 | HomUG-CM-RM-Stat-II | Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics; |
| 6 | HomUG-Yoga - IV | Yoga for health promotion. |

(k) Clinical training. -Clinical training of the student shall start from the first professional session after second term and subject related clinical training shall be provided in the attached hospital by the concerned faculty and department in non-lecture hour as per the requirement of the subject as mentioned below-

(i) During first professional session, clinical training shall be provided in Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD), community and peripheral clinics and clinical exposure may also be arranged through appropriate audio-visual media or simulated patient.

(ii) Students shall be placed in Hospital Pharmacy to get familiar with prescription patterns, medicine names, dosage, dispensing of medicines etc.

(iii) During second, third and fourth professional session, clinical training shall be provided through the specialty Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD), peripheral Outpatient Departments (OPDs) and community posting wherein teacher of the above departments shall be consultant. The students shall be involved in screening patients in Outpatient Department (OPD); case taking, analysis, evaluation and totality of symptoms, clinical examination, repertorisation and investigation including Radiology, Hematology and Pathology Laboratory and prescription writing.

(iv) Training/ orientation on add on therapy: Training for Yoga, Physiotherapy and diet and nutrition shall be provided to the student by the concerned professional.

(v) Clinical training shall be on rotation basis as per the non-lecture/clinical batches and in accordance with the clinical/ non-lecture teaching hour stipulated for the following subjects, namely: -

(A) Homoeopathic special and general Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD), peripheral Outpatient Department (OPD), community Outpatient Department (OPD), with compulsory repertorisation through software.

(B) Practice of Medicine: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and specialty clinics like Pediatrics, Pulmonology, Cardiology, Nephrology, Gastroenterology, Dermatology, Psychiatry, Oncology or any other, functioning under the department, in attached hospital/Super specialty hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(C) Surgery: Eye, Ear Nose Throat (ENT), Dental Outpatient Department and any other related specialty clinics; Operation Theater Unit, Preparation room, postoperative recovery room, Sterilization, wound care & infection control, bio-waste management and any specialty units in the attached hospital/Super specialty hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(D) Gynecology and Obstetrics: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD), Labour room, procedural room, and other related specialty clinics for reproductive, mother &child health, if any.

(E) Department of Community Medicine will provide training through specialty clinics, adopted villages /health programmes i.e. awareness camps, campaigns and public health programs and Inpatient Department (IPD) for waste management, prophylaxis and health education programs. Inpatient Department (IPD) Nutritional assessment and diet requirement of cases admitted in Inpatient Department (IPD) shall be determined by the dietitian of the Hospital. Awareness about nutritional disorders and balanced diet shall be included in the training programme.

(F) Clinical Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and clinics functioning under School Health programme .

(vi) Clinical training for the fourth professional session shall be provided in Outpatient department (OPD), Inpatient department (IPD), and Physiotherapy room in accordance with the requirement of subject, and shall be on rotation basis as per the non-lecture/clinical batches and also in accordance with the clinical/ non-lecture teaching hour stipulated for the following subjects, namely: -

(A) General and special Homoeopathic Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD)

(B) Emergency/Casualty department in hospital

(C) Skill lab in hospital;

(D) Practice of Medicine: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and specialty clinic (Pediatrics, Pulmonology, Cardiology, Nephrology, Gastroenterology, Dermatology, Psychiatry, Oncology) functioning under the department if any, in attached hospital /Super speciality hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(2) Electives- (a) It constitutes an optional course of study devised to enrich the educational experience of the student and each discipline has distinctive requirements not adequately covered by the regular courses.

(b) The Electives shall be conducted as an online programme by the Commission:

(i) Each student from first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course to third professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall opt two electives in each academic year.

(ii) The electives shall start from the second term of first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course.

(iii) One elective shall be compulsory in each professional year for student and he may select any one elective from the list provided by the Commission for a particular professional year.

(iv) Completion of two electives shall be compulsory for passing the respective academic year.

(v) Each elective may vary in terms of duration of the academic year but shall be available and divided into component of approximately two or more hours and the content or presentation shall be hosted on the online portal of the commission.

(vi) Each component shall comprise an audio-visual component in the form of lecture/demonstration, some suggested reading material/activity and an assessment.

(vii) The student may progress from one component to the next after satisfactorily completing each assessment.

(viii) At the end of each elective, the commission shall issue an elective completion certificate online to the student and the certificate, having the grade, shall be submitted to the medical institution authority as proof of completing the electives and same shall be sent to affiliating university.

(ix) The student who fails to complete the electives shall not be allowed to appear in annual university examination.

(x) The commission shall provide a unique number to the student to log in the portal.

**8. Methodology for supplementing modern advancement, research and technology in Homoeopathy (SMART-Hom.)**.-

(1) To accomplish the supplementation of modern advancement, scientific and technological developments in Homoeopathy System of Medicine, all the thirteen departments as mentioned in table 2 of regulation 7, shall be supplemented, enriched and updated with relevant and appropriate advancement or development in the area of diagnostic tools, conceptual advancement and emerging areas as under-

(a) Innovations or advancement or new development in basic sciences like Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Microbiology, Bioinformatics, Molecular biology etc.;

(b) Diagnostic advancements;

(c) Pharmaceutical technology including quality and standardization of drugs, drug development etc.;

(d) Teaching, Training methods and Technology;

(e) Research Methods, Parameters, Equipment and Scales etc.;

(f) Technological automation, software, artificial Intelligence, digitalisation, documentation etc.;

(g) Biomedical advancements;

(h) Medical equipment;

(i) Any other innovations, advancement, technologies and development useful for understanding, validating, teaching, investigation, diagnosis, treatment, prognosis, documentation, standardisation and conduction of research in Homoeopathy.

(2) There shall be multidisciplinary Core Committee constituted by the Commission for the purpose of supplementation of modern advancement, scientific and technological developments in Homoeopathy, that identify the advancement and developments that are suitable and appropriate to include in anyone or multiple departments.

(3) There shall be an Expert Committee for each department constituted by Commission, to define and suggest the method of adaptation and incorporation of the said advancement and developments and also specify the inclusion of the same at undergraduate or postgraduate level and the expert committee shall develop detailed methodology for usage, standard operating procedure and interpretation as required.

(4) Teaching staff, practitioner, researcher, student and innovator etc. may send his suggestions through a portal specified by National Commission for Homoeopathy regarding supplementation of modern advancement, scientific and technological development in Homoeopathy and suggestion shall be placed by Homoeopathy Education Board before core committee for consideration.

(5) The modern advancement shall be incorporated with due interpretation of the said advancement based on the principles of Homoeopathy, supported by the studies and after five years of inclusion of such advancement in syllabus, they shall be considered as part of Homoeopathy syllabus.

(6) Once Core Committee approves the recommendations of the Expert Committee, National Commission for Homoeopathy shall direct the Homoeopathy Education Board, to include the same in curriculum of undergraduate or postgraduate course as specified by the Expert Committee and the Commission shall issue guidelines or if required to conduct orientation of teacher for incorporation of the recommended modern advancement or scientific and technological development.

(7) (a) There shall be a Core Committee for each department comprising of the following persons, namely -

(i) President, Homoeopathy Education Board–Chairman;

(ii) four experts from Homoeopathy (one expert from Materia Medica, Organon of Medicine, Repertory and Practice of Medicine)–members;

(iii) one expert (either retired or in service) each from Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH), National Institute of Homoeopathy

(NIH), pharma industry, public health – member;

(iv) one educational technologist–member;

(v) Member of Homoeopathy Education Board-Member Secretary:

Provided that the core committee may co-opt an expert as per the needs and with permission of the Commission.

(b) Terms of reference. – (i) The term of the Committee shall be three years;

(i) The committee shall meet at least twice in a year.

(ii) The committee shall identify any modern advancement, scientific and technical development as specified in the sub-regulation (1) of regulation for; -

(A) understanding of validating conduction of research activities in Homoeopathy;

(B) diagnosis or prognosis in a specific clinical condition and treatment;

(C) teaching and training;

(D) health care services through Homoeopathy.

(iii) The committee shall ensure the applicability of the identified modern advancements or scientific and technical development to basic principles of Homoeopathy with the help of the four expert members of Homoeopathy.

(iv) The Core Committee shall identify and recommend suitable expert for the Expert Committee to develop methodology for identification of modern advancement or development.

(v) The Core Committee shall suggest the application of the advancements or developments in terms of its usage in specific department or to incorporate in under-graduate or post-graduate syllabus etc. as the case may be.

(vi) The Core Committee shall identify the outdated part of the modern science and technology and suggest the Commission to replace it with the appropriate modern advancements.

(8) (a) There shall be an expert committee for each department consisting of the following persons namely:-

(i) Subject Expert as recommended by Homoeopathy Education Board– Chairman;

(ii) Two experts from relevant Homoeopathy subjects, one from under graduate (UG) and one from post graduate ( PG) –members;

(iii) One expert from relevant modern subject–member;

(iv) One expert from teaching technology –member:

Provided that the Expert Committee may co-opt concerned expert in accordance to the selected area with the permission of the Commission.

(b) Terms of reference. –

(i) the term of the Expert Committee shall be three years;

(ii) The Expert Committee shall meet as many times as per the direction of the Commission;

(iii) The Expert Committee shall work on the suggestion from the core committee and decide how to incorporate it in the syllabus, its mode of teaching (i.e., lecture/non-lecture) and the assessment with the help of educational technologist, experts;

(iv) The Expert Committee shall first understand the application of modern advancement that are identified to incorporate and its relevance to the basic principles of Homoeopathy;

(v) The Expert Committee shall also identify the need of advance technology in Homoeopathy particular to that vertical and identify the suitable technology and recommend its usage along with the standard operating procedure or methodology;

(vi) The Expert Committee shall suggest Core Committee regarding the modern advancement and technology to be included at undergraduate or post graduate level.

**9. General guidelines for examinations, results and re-admission**.-

(1) The University or agencies empowered by the Commission shall conduct examination for the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course.

(2) The examining body shall ensure the minimum number of hours for lectures or demonstrations or practical or seminars etc. in the subject in each Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination as specified in these regulations are followed, before allowing medical institution to send the student for university examination.

(3) The examining body shall ensure that the student of the medical institution, who does not fulfill the criteria laid down in these regulations are not sent for the university examination.

(4) Each student shall be required to maintain at least seventy five percent. attendance in each subject in theory/lecture hours/ practical and clinical / non-lecture hours separately for appearing at examination.

(5) Where the medical institution is maintaining physical register, it shall be recorded in cumulative numbering method as per Annexure-III and at the end of the course/ term/ part of the course, after obtaining each student signature, the same shall be certified by respective Head of the Department and approved by Head of the institute.

(6) The approved attendance shall be forwarded to the concerned university.

(7) Internal assessment examinations to be conducted by medical institution during first, second, third and fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) professional year.

(8) The weightage of internal assessment shall be ten percent. of the total marks specified for each subject for main university examination and internal assessment shall be in the forms of practical only.

(9) Internal assessment examination shall include one periodic assessment and one term test in each term of six months.

(10) It is compulsory for every student to pass with minimum fifty percent. marks in the internal assessment examination prior to filling the final university examination form of the respective professional year and Head of medical institution shall send the marks of internal assessment and term test to the university prior to final examination of any professional year.

(11) There shall be no separate class for odd batch student (those students who could not keep the term) and the student must attend the class along with regular batch or with junior batch as applicable.

(12) To become eligible for joining the Compulsory Rotatory Internship programme, a student must pass all four professional examinations and qualified in six electives and the entire course of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) including internship shall be completed within a period of maximum ten years.

(13) The theory examination shall have ten percent. marks for Multiple Choice Questions (MCQ), forty per cent. marks for Short Answer Questions (SAQ) and fifty percent. marks for Long Explanatory Answer Questions (LAQ) and these questions shall cover the subject widely.

(14) Each theory examination shall be of three hours duration.

(15) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty percent. in theory component and fifty percent. in practical component including practical, clinical, viva-voice, internal assessment and electives wherever applicable separately in each subject.

(16) Electives shall be assessed in terms of attendance and assessment by grading as following, namely: -

(a) Grading shall be only for two electives per professional session and mentioned in the certificate obtained by the student after online teaching and assessment.

(b) Grading shall be mentioned in the University mark sheet of student.

(c) The examination branch of the institution shall compile the grade of electives obtained by student and submit to university through the head of institution so that the University shall add the same to final mark sheet of the student.

(17) Grading of electives shall be assessed as following, namely :-

(a) Electives shall be assessed online by the resource person who has prepared the contents of elective and assessed to the student.

(b) The following points shall be taken in to consideration for grading , namely:-

(i) Depth of problem definition – 15%

(ii) Extent of work undertaken – 20%

(iii) Innovation – 15%

(iv) Logical and integrated way of presentation – 20%

(v) Quality of learning derived – 20%

(vi) Adequacy of references undertaken – 10%

(c) The final grades would be as follows, namely: -

(i) "A" – Excellent (above 70%)

(ii) "B" – Good (above 60 %)

(iii) "C" – Average (around 50%)

(iv) "D" – below average (around 40%)

(v) "E" – Poor (below 40%)

(d) The student shall have to secure at least 'C' grade in all the electives in order to pass the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course.

(18) The examining body shall hold examinations on such date and time as the examining body may determine and the theory and practical examination shall be conducted on the center approved by the examining body.

(19) There shall be a regular examination and a supplementary examination in a year and the supplementary examination shall be conducted within three months of declaration of results of regular examination including issuance of mark sheets.

(20) A candidate obtaining sixty percent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy five percent. and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(21) The award of class and distinction shall not be applicable for supplementary examination.

(22) For non-appearance in an examination, a candidate shall not have any liberty for availing additional chance to appear at that examination.

(23) Any Diploma/Degree qualification, at present included in Schedule II and Schedule III of the Homoeopathy Central Council Act 1973 (59 of 1973) where nomenclature is not in consonance with these regulations shall cease to be recognised medical qualification when granted after commencement of these regulations. However, this clause will not apply to the students who are already admitted to these courses before the enforcement of these regulations.

(24) (a) No person shall be appointed as an external or internal examiner or paper setter or moderator in any of the subjects of the Professional examination, leading to and including the final Professional examinations for the award of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) degree unless he has taken at least three years previously, a M.D.(Hom.) degree of a recognised university or an equivalent qualification in the particular subject as per recommendation of the Commission on teachers' eligibility qualification and has had at least three years of teaching experience in the subject concerned in a college affiliated to a recognised university at a faculty position.

(b) Non-medical scientist engaged in the teaching of medical students as full time teacher, may be appointed examiner in his concerned subject provided he possess requisite Post Graduate qualification andthree-year teaching experience of medical students after obtaining his postgraduate qualifications:

Provided further that the fifty percent. of the examiner (Internal and External) shall be from the medical qualification stream.

(c) A university having more than one college shall have separate set of examiner for each college, with internal examiner from the concerned college.

(d) In a state where more than one affiliating university is existing, the external examiner shall be from other university.

(e) External examiner shall rotate at an interval of two years.

(f) Any fulltime teacher with teaching experience of not less than three years in a concerned subject in a Homoeopathic Medical Institution shall be appointed internal / external examiner by rotation in his subject.

**10. University examination**. – (1) First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination:

(a) The student shall be allowed to appear for the First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination provided that he has required attendance as per clause (4) of regulation 9 of head of the medical institution.

(b) The process of conduction of examination and declaration of the results of First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) shall be completed between seventeen to eighteen Months from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessments examination.

(2) Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination unless he has passed all the subjects of First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of conduction of examination and declaration of results of Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination shall be completed between twenty nine to thirty Months from the date of admission.

(c) In order to be declared "Passed" in the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessment examination.

(3) Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination unless he has passed all the subjects of the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of examination conduction and results of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) shall be completed between forty one to forty two month from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessment examination.

(4) Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination unless he has passed all the subjects of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of conduction of examination and declaration of result of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination shall be completed between fifty three to fifty four Month from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of University examination including the internal assessment examination.

Result : (a) The examining body shall ensure to publish the results within one month from the last date of examination so that student can complete the course in five and half year after admission.

(b) Who passes in one or more subjects need not to appear in that subject or those subjects again in the subsequent examinations if the candidate passes the whole examination within four chances including the original examination.

(c) Notwithstanding contained in the foregoing regulations, the student shall be allowed the facility to keep term on the following conditions:

(i) The candidate shall pass First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination in all the subjects at least one term of six months before he is allowed to appear at the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(ii) The candidate shall have to pass the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at least one term of six months before he is allowed to appear at the third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(iii) The candidate must pass the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at least one term of six months before he is allowed to appear at the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(d) The student who has not passed any of the four professional examinations even after exhausting all four attempts, shall not be allowed to continue his Course:

Provided that in case of any unavoidable circumstances, the vice Chancellor of the concerned university may provide two more chances in any one of four professional examination.

(e) The examining body may under exceptional circumstances, partially or wholly cancel any examination conducted by it under intimation to the commission and arrange for conducting re-examination in those subjects within a period of thirty days from the date of such cancellation.

(f) The university or examining authority shall have the discretion to award grace marks not exceeding to ten marks in total if a student fails in one or more subjects.

**11. Assessment.**-Assessment of students shall be in the form of Formative and Summative Assessments as under-

**(1)** Formative Assessment. - Student shall be assessed periodically to assess his performance in the class, determine the understanding of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course material and his learning outcome in the following manner, namely: -

(a) Periodical Assessment shall be carried out in practical and at the end of teaching of a topic or module or a particular portion of syllabus and the following evaluation method may be adopted as appropriate to the content, namely:-

**Table -7**

| **Serial Number** | **Evaluation Method** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | Practical/Clinical Performance; |
| 2. | Viva Voce; |
| 3. | Open Book Test (Problem based); |
| 4. | Summary Writing (Research Papers or Synopsis); |
| 5. | Class Presentations; Work Book Maintenance; |
| 6. | Problem based Assignment; |

| | |
|---|---|
| 7. | Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OPSE),Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), Direct Observation of Procedures (DOP), Case Based Discussion(CBD) |
| 8. | Extra-curricular activities, (Social work, Public awareness, Surveillance or Prophylaxis activities, Sports or Other activities which may be decided by the Department); |
| 9. | Small Project. |

(b) (i) First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery(B.H.M.S.) course : There shall be minimum three periodical assessments for each subject (ordinarily at 4th, 9th, and 14thmonth) and two term test (ordinarily at 6th and 12th month) followed by final University examination.

(ii) Second, Third and Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery(B.H.M.S.) course: There shall be minimum two periodical assessments at 4th and 9th month and one term examination at 6th month followed by final university examination.

(iii) The scheme and calculation of assessment shall be as per the following tables, namely:-

**Table-8**

**[Scheme of Assessment (Formative and Summative)]**

| **Serial Number** | **Professional Course** | **Duration of Professional Course** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | | | |
| | | **First Term** | **Second Term** | **Third Term and University exam** | |
| | | (a) | (b) | (c ) | |
| (1) | First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). | First PA and First TT-1 | Second PA and Second TT-2 | Third PA | First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Exam (FUE) |
| | | | | | |
| | | **First Term** | **Second Term and University exam** | | |
| (2) | Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). | First PA and First TT-1 | Second PA | | Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE) |
| (3) | Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). | First PA and First TT | Second PA | | Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE) |
| (4) | Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). | First PA and First TT | Second PA | | Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE) |

PA: Periodical Assessment; TT: Term Test; FUE: Final University Examinations; B.H.M.S: (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery).

(2) Summative Assessment. –

(a) Final University examinations conducted at the end of each professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course shall be the Summative Assessment.

(b) There shall be double evaluation system and shall be no provision for revaluation.

(c) There shall be two examiners (one internal and one external) for university practical/clinical/viva voce examinations for hundred marks and it shall increase to four (two internal and two external) for two hundred marks.

(d) During supplementary examination for two hundred marks, if students are less than fifty then examination can be conducted by one internal and one external examiner but if students are more than fifty, then four examiners are required (two internal and two external examiner).

(e) While declaring the result of Summative Assessment, Internal Assessment component shall be considered as per the distribution of marks pattern provided in Table-10, Table-12,Table- 14 and Table-16.

**12. The Profession wise Subjects, Number of Papers, Teaching Hours and Marks Distribution shall be as specified in the Tables below namely**: -

**Table -09**

| **First Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) (3 terms)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Subject** | **Number of teaching hours** | | |
| (1) | (2) | | |
| | Lectures | Non- Lectures | Total |
| | (a) | (b) | (c) |
| Hom UG-OM-I | 180 | 100 | 280 |
| Hom UG-AN | 325 | 330 | 655 |
| Hom UG-PB | 325 | 330 | 655 |
| Hom UG-HP | 100 | 110 | 210 |
| Hom UG-HMM-I | 120 | 75 | 195 |
| Hom UG-R-I | 21 | - | 21 |
| HomUG-Yoga-I | - | 30 | 30 |
| Total | 1071 | 975 | 2046 |
| *Foundation Course=10 Working days (60hours)* *Teaching Hours :2046* | | | |

**Table – 10**

| **Marks distribution First Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Papers** | **Theory** | **Practical or Clinical Assessment** | | | | | **Grand Total** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) |
| | | | | Practical/ Clinical | Viva | IA | Electives grade | Sub total | |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| 1 | *HomUG-OM-I* | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | Elective I - Elective II- | 100 | 200 |
| 2 | *HomUG-AN* | 2 | 200 | 100 | 80 | 20 | | 200 | 400 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *HomUG-PB* | 2 | 200 | 100 | 80 | 20 | | 200 | 400 |
| 4 | *HomUG-HP* | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | | 100 | 200 |
| 5 | *HomUG-HMM-I* | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | | 100 | 200 |
| Grand Total | | | | | | | | | 1400 |

**Table-11**

| **Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). ( 2 terms)** ***Teaching hours=1404*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Number of teaching hours** | | |
| (1) | (2) | (3) | | |
| | | Lectures | Non-Lectures | Total |
| | | (a) | (b) | (c ) |
| 1 | HomUG-HMM-II | 150 | 30 | 180 |
| 2 | HomUG-OM-II | 150 | 30 | 180 |
| 3 | HomUG R-II | 50 | 30 | 80 |
| 4 | HomUG-FMT | 120 | 50 | 170 |
| 5 | HomUG-Path-M | 200 | 80 | 280 |
| 7 | HomUG-PM-I | 80 | 92 | 172 |
| 8 | Hom UG Sur- I | 92 | 60 | 152 |
| 9 | Hom UG ObGy- I | 100 | 60 | 160 |
| 10 | HomUG-Yoga-II | - | 30 | 30 |
| | | 942 | 462 | 1404 |

**Table-12**

| **Marks distribution of Second Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Papers** | **Theory** | **Practical Clinical** | **Practical or Clinical Assessment** | | | | |
| | | | | | (6) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Viva | Electives Grade | IA | Sub Total | Grand Total |
| | | | | | (a) | (b) | (c ) | (d) | (e) |
| 1. | HomUG-HMM-II | 1 | 100 | 50 | 40 | Electives I- Electives II- | 10 | 100 | 200 |
| 2. | *HomUG-OM-II* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 100 | 200 |
| 3. | *HomUG-FMT-I* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 100 | 200 |
| 4. | *HomUG-Path M* | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| | Grand Total | | | | | | | | 1000 |

**Table-13**

| **Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). ( 2 terms)** *Teaching hours=1404* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Number of teaching hours** | | |
| | | (3) | | |
| (1) | (2) | Lectures | Clinical/ Practical | Total |
| | | (a) | (b) | (c) |
| 1 | HomUG- -HMM-III | 150 | 50 | 200 |
| 2 | HomUG-OM-III | 150 | 50 | 200 |
| 3 | HomUG-R-III | 100 | 50 | 150 |
| 4 | HomUG-PM-II | 120 | 100 | 220 |
| 5 | Hom UG Sur- II | 120 | 100 | 220 |
| 6 | Hom UG ObGy- II | 110 | 79 | 189 |
| 7 | HomUG-CM | 100 | 60 | 160 |
| 8 | Hom.UG-Mod. Phar-I | 45 | - | 45 |
| 9 | HomUG Yoga-III | | 20 | 20 |
| | Grand Total | 895 | 509 | 1404 |

**Table-14**

| **Marks Distribution of Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Subjects** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Papers** | **Theory** | **Practical or Clinical Assessment** | | | | | **Grand Total** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) |
| | | | | Practical or Clinical | Viva | Electives grade | IA | Sub Total | |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| 1 | *HomUG-HMM-III* | 1 | 100 | 50 | 40 | Elective I - Elective II- | 10 | 100 | 200 |
| 2 | HomUG-OM-III | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 3 | *Hom-UG-R-III* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 100 | 200 |
| 4 | *Hom-UG Sur-II* | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 5 | *Hom-UG ObGy-II* | 2 | 200 | 100 | 80 | | 20 | 200 | 400 |
| 6 | *Hom-UG-CM* | 1 | 100 | 50 | 40 | | 10 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | Grand Total | 1800 |

**Table-15**

| **Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) ( 2 terms)** *Teaching hours=1404* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Serial number** | **Subject Code** | **Number of teaching hours** | | |
| (1) | (2) | (3) | | |
| | | Lectures | Non-Lectures | Total |
| | | (a) | (b) | (c) |
| 1 | HomUG-HMM-IV | 200 | 83 | 283 |
| 2 | HomUG-OM-IV | 100 | 75 | 175 |
| 3 | HomUG-R-IV | 60 | 120 | 180 |
| 4 | HomUG-PM-III | 300 | 300 | 600 |
| 5 | HomUG-CM II including RM-stat | 71 | 75 | 146 |
| 6 | HomUG-Yoga-II | - | 20 | 20 |
| | Total | 731 | 673 | |
| | | | Grand Total | 1404 |

**Table-16**

| **Marks Distribution of Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Subjects)** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Subject Code** | **Papers** | **Theory** | **Practical or Clinical Assessment** | | | | **Grand Total** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | (6) |
| | | | | Practical or Clinical | Viva | IA | Sub Total | |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| 1 | *HomUG-HMM-IV* | 2 | 200 | 100 | 80 | 20 | 200 | 400 |
| 2 | HomUG-OM-IV | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 100 | 200 |
| 3 | HomUG-R-IV | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 100 | 200 |
| 4 | HomUG-PM-III | 3 | 300 | 100 | 80 | 20 | 200 | 500 |
| 5 | *HomUG-CM-RM-STAT* | 1 | 100 | 50 | 40 | 10 | 200 | 200 |
| 6 | *HomUG-Ess. of Pharmacology* | 1 | 50 | | 40 | 10 | 50 | 100 |
| | | | | | | | Grand Total | 1600 |

**13. Migration of students during the study:** -(1 ) The student may be allowed to take migration to continue his study in another medical institution after passing the first professional examination, but the student who fails in such examination shall not be considered for transfer and mid-term migration.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both Medical Institution and University and it shall be against the vacant seat.

(3) Migration from one Medical Institution to other is not a right of a student.

(4) Migration of students from the Medical Institution to another Medical Institution in India shall be considered by the Commission only in exceptional cases on compassionate ground, if following criteria are fulfilled and routine migrations on other grounds shall not be allowed;

(a) Medical Institution at which the student is studying present and Medical Institution to which migration is sought are recognised as per provisions of Commission.

(b) The applicant shall submit his application in the Form- 3 for migration, complete in all respects, to the Medical Institution within a period of one month of passing (declaration of result) the first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(c) The applicant shall submit an affidavit stating that he shall pursue twelve months of prescribed study before appearing at second professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at the transferee college, which shall be duly certified by the Registrar of the concerned University in which he is seeking transfer and the transfer shall be effective only after receipt of the affidavit.

(d) Migration during internship training shall be allowed on extreme compassionate grounds and the migration shall be allowed only with the mutual consent of the medical institution at which the student is studying at present and the medical institution one to which migration is sought are recognised as per provisions of Commission.

(5) All applications for migration shall be referred to the Commission by medical institution and no medical institution shall allow migration without the approval of the Commission.

(6) The Commission reserves the right not to entertain any application except under the following compassionate grounds, namely: -

(a) death of a supporting guardian;

(b) illness of candidate causing disability supported by medical grounds certified by a recognized hospital;

(c) disturbed conditions as declared by concerned Government in the area where the college is situated.

(7) A student applying for transfer on compassionate ground shall apply in Form 3.

**14. Compulsory Rotatory Internship Training**. - There shall be compulsory rotatory internship training , followingly :-

(1) (a) Each candidate shall be required to undergo compulsory rotatory internship including internship orientation and finishing programme within one year from passing of fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination.

(b) Ordinarily the internship training shall commence on first working day of April for regular batch students and first working day of September for supplementary batch students.

(c) The student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from First to Fourth (Final) Professional examination including six electives and after getting Provisional Degree Certificate from respective Universities and provisional registration Certificates from respective State Board or Council for Compulsory Rotatory Internship.

(2) During internship, the interns belonging to institute of the Central Government, State Government or Union territory as the case may be, and all the private homoeopathic medical colleges/institutions shall be eligible to get the stipend at par with other medical systems under respective Government and there shall not be any discrepancy between medical systems.

(3) (a) Migration during internship shall be issued with the consent of both the medical institution and university; in the case where migration is between the medical institution of two different Universities.

(b) If migration is only between medical institution of the same university, the consent of both the medical institution shall be required.

(c) Migration shall be accepted by the university on the production of the character certificate issued by the institute or medical institution and the application forwarded by the medical institution and university with a 'No Objection Certificate' as the case maybe.

(4) The objective of the orientation programme shall be to introduce the activity to be undertaken during the internship.

(a) The interns shall attend an orientation programme regarding internship and it shall be the responsibility of the teaching institution to conduct the orientation before the commencement of the internship.

(b) The orientation shall be conducted with an intention to make the intern to acquire the requisite knowledge as following , namely:-

(i) Rules and Regulations of the Medical Practice and Profession,

(ii) Medical Ethics;

(iii) Medico legal Aspects;

(iv) Medical Records;

(v) Medical Insurance;

(vi) Medical Certification;

(vii) Communication Skills;

(viii) Conduct and Etiquette;

(ix) National and State Health Care Programme;

(x) Project work.

(c) The orientation workshop shall be organised at the beginning of internship and an e-log book shall be maintained by each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him/her during orientation.

(d) The period of orientation shall be for three days prior to date of commencement of internship.

(e) The manual for conducting the orientation as prescribed from time to time by the National Commission for Homoeopathy shall be followed.

(5) (a) There shall be a finishing programme for three days at the completion of internship.

(b) This programme is designed for the interns and will consist of ten sessions spread over a period of three days. The program may include both online and offline modes of training. It is aimed to enlighten the interns on various career opportunities available after successful completion of the program and how to equip themselves to meet the requirements and fulfill their dreams.

(c) After successful completion of this training the student will be able to:

(i) list the various career opportunities available after successful completion of the degree program.

(ii) identify their Strengths and Weaknesses;

(iii) choose a career of their choice;

(iv) enumerate the requirements to be met to become a successful professional;

(v) demonstrate positive outlook and attitude towards the profession;

(vi) exhibit better skills in communication, problem solving, writing, team building, time management, decision making etc.;

(vii) demonstrate ethical and professional values and be a compassionate and caring citizen / professional.

(6) The finishing programme shall be as follows, namely:-

(a) Job opportunities after successful completion of the program

(b) Study opportunities in India and abroad after successful completion of the program

(c) Entrepreneurship opportunities after successful completion of the program

(d) Research opportunities after successful completion of the program

(e) Public Service opportunities after successful completion of the program

(f) Training and awareness about Competitive exams

(g) Self analysis to choose the right option

(h) Building Interpersonal & Soft Skills including Interview skills, Leadership skills, Resume writing skills, problem solving and decision making skills

(i) Certificate writing and prescription writing and medico-legal issues relevant to the profession

(j) Loan assistance and other scholarship facilities available for establishment and study.

(k) Ethical / Professional and Social responsibilities after successful completion of internship

(7) Activities during Internship shall consist of clinical work and project work.

(a) (i) Clinical work in the Outpatient Department (OPD)s/ medical institution hospital/ memorandum of understanding hospital/ Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for research in Homoeopathy or Rural Hospital or district hospital or civil Hospital or any government hospital of modern medicine or homoeopathy medicine or National Accreditation Board and for Hospital accredited private hospital of Homoeopathy.

(ii) The daily working hours of intern shall be not less than eight hour and the intern shall maintain an e-log book/log book containing all the activities undertaken by him/her during internship.

(iii) The medical institution shall opt any one of the Option as specified below for completion of internship and the same shall be mentioned in its prospectus.

(A) Option I shall be divided into clinical training of ten months in the Homoeopathy hospital attached to the college and two months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Medicine or National Accreditation Board for Hospital accredited private hospital of Homoeopathy.

(I) The interns shall be posted in any of the following centers where National Health Programs are being implemented and these postings shall be to get oriented and acquaint with the knowledge of implementation of National Health Programmes in regard to,-

(a) Primary Health Centre;

(b) Community Health Centre or Civil Hospital or District Hospital;

(c) Any recognized or approved Homeopathy Hospital or Dispensary;

(d) In a clinical unit/hospital of Central Council for Research in Homoeopathy.

(II) All the above institutions mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University or Government designated authority for providing such training.

(III) During the two months internship training in Primary Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or Community Health Centre or District Hospital or any recognized or approved hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Hospital or Dispensary, the interns shall:-

(1) get acquainted with routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;

(2) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;

(3) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes;

(4) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(5) develop research aptitude;

(6) get familiarized with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register, etc. and take active participation in different Government health schemes or programmes;

(7) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(IV). The record of attendance during two months in Primary Health Center (PHC)/Community Health Center (CHC)/Dispensary must be maintained by the interns according to his posting and should be certified by the Medical Officer/Deputy medical superintendent/ Research officer/Resident Medical Officer (RMO)/Faculty/Outpatient department in-charge, where student undergone the training and shall be submitted to and counter signed by the principal of medical institution on monthly basis.

(B) Option II shall consists of clinical training of twelve months in Homoeopathy hospital attached to the medical institution and the record of attendance during twelve months in hospital attached to medical institution shall be maintained by the intern according to his posting and shall be certified by the Medical Officer/Deputy medical superintendent/ Research officer/ Resident Medical Officer (RMO)/Faculty/ Outpatient Department (OPD) in-charge, where the intern undergo the training and shall also be submitted to and counter signed by Dean/ Principal of medical institution on monthly basis.

(V) Division of Clinical work during posting in Option I and Option II. The clinical work during internship shall be conducted as per the following table, namely:-

**Table-17**

**(Distribution of Internship duration)**

| **Serial Number** | **Departments** | **Option I** | **Option II** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Practice of Medicine Outpatient Department including Psychiatry and Yoga, Dermatology, and related specialties and respective section of Inpatient Department | two month; | three months; |
| 2. | Surgery Outpatient Department including Operation theatre, related specialties and Ophthalmology, Ear Nose Throat( ENT) and respective section of Inpatient Department | two month; | two months; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Gynecology and Obstetrics Outpatient Department, related specialties including Operation theatre, and respective section of Inpatient Department | two month; | two months; |
| 4. | Pediatric Outpatient Department related specialties including Neonatal Intensive Care Unit, and respective section of Inpatient Department | one month; | two months; |
| 5. | Community Medicine Outpatient Department, related specialties including Rural/Public Health /Maternal and Child Health and respective section of Inpatient Department | two month; | two months; |
| 6. | Casualty | one month; | one month; |
| 7. | Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Medicine or NABH (National Accreditation Board for Hospitals) accredited private hospital of Homoeopathy | two month; | |

(D)The intern shall undertake the following activities in respective department in the hospital attached to the College, namely: -

(1) The intern shall be practically trained in practice of medicine to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(a) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of patients with homoeopathic medicine;

(b) routine clinical pathological work such as hemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis and all pathological and radiological investigations useful for monitoring the status of different disease conditions;

(c) training in routine ward procedure and supervision of patients in respect of his diet, habits and verification of medicine schedule.

(2) The intern shall be practically trained in Surgery to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Clinical examination, diagnosis and management of common surgical disorders according to homoeopathic principles using homoeopathic medicines;

(b) Management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;

(c) Intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;

(d) Surgical procedures in ear, nose, throat, dental problems, ophthalmic problems;

(e) Examinations of eye, ear, nose, Throat and Refractive error with the supportive instruments in Out-Patient Department; and

(f) Practical training of a septic and antiseptic techniques, sterilization;

(g) Practical use of local anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;

(h) Radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;

(i) Surgical procedures and routine ward techniques such as-

(i) suturing of fresh injuries;

(ii) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(iii) incision and drainage of abscesses;

(iv) excision of cysts and;

(v) venesection;

(3) The intern shall be practically trained in Gynecology and Obstetrics to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Ante-natal and post-natal problems and their remedies, ante-natal and post-natal care;

(b) Management of normal and abnormal labors;

(c) Minor and major obstetric surgical procedures;

(d) All routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common gynecological conditions with homoeopathic medicine;

(e) Screening of common carcinomatous conditions in women.

(4) The intern shall be practically trained in pediatrics to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Care of newborns along with immunization programme:

(b) Important pediatric problems and their homoeopathic management;

(5) The intern shall be practically trained in Community Medicine to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Programme of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunization, management of infectious diseases, etc.;

(b) Family Welfare Planning programme;

(c) All National Health Programme of Central Government at all levels

(d) Homoeopathic prophylaxis and management in cases of epidemic/endemic/pandemic diseases.

(6) The intern shall be practically trained in Emergency or Casualty management to acquaint with and to make him competent to deal with all emergency condition and participate actively in Casualty section of the hospital for identification of casualty and trauma cases and his first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospital.

(b) The project work shall consist of the following, namely:-

(a) Each intern will undertake a project utilizing the knowledge of Research Methodology and Biostatistics acquired in IVth Bachelor of Homoeopathic medicine and Surgery (B.H.M.S)

(b) It would be the responsibility of the intern to choose the topic of the subject (clinical/community/education) within the first month of the internship and shall communicate to guide/mentor allotted by Principal.

(c) The project shall run through three phases of planning (three months), data collection (three months) and finalization and writing (three months).

(d) The writing shall be as per the format taught in the course on research methodology and will be minimal one thousand five hundred words and it shall be type written and submitted in a spiral bond form as well as in the electronic format.

(e) The project shall end with a brief presentation to the IV Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) students.

(f) The principal shall assign a teacher to evaluate the project which will be with respect to the following:

(i) Originality of the idea

(ii) Scientific methodology followed in formulating the ideas and the designs

(iii) Analysis

(iv) Results and conclusion

(v) Merits of writing

(vi) The grades shall range from A (70% and above), B (60 - 70%), C50-60%) and D (below 50%)

(c) A Certificate shall be awarded to the intern stating the title of the project and grade received.

**15. Electronic Logbook / Logbook**. -(i) It shall be compulsory for an intern to maintain the record of procedures done/assisted/observed by him on day-to-day basis in a specified e-logbook/ logbook as the case may be and the intern shall maintain a record of work, which shall be verified and certified by the concerned Medical Officer or Head of the Unit or Department under whom he is placed for internship.

(ii) Failure to produce e-logbook/ logbook, complete in all respects certified by the concerned authority to the Dean / Principal / Director at the end of Internship Training Programme, may result in cancellation of his performance in any or all disciplines of Internship Training Programme.

(iii) The institution shall retain soft copy of the completed and certified –e log book/ logbook and available for further verification, if required.

**16. Evaluation of Internship program.** –(1) The evaluation system shall assess the skills of an intern while performing the minimum number of procedures as enlisted with an objective that successful learning of these procedures will enable the interns to conduct the same in his/her actual practice.

(2)The evaluation shall be carried out by respective Head of Department at the end of each posting and the reports shall be submitted to Head of the institute in Form-1.

(3)On completion of one year of compulsory rotatory internship including submission of project, the Head of the Institute shall evaluate all the assessment reports as specified in Form-1, as provided by Head of the Department at the end of respective posting and if found satisfactory, the intern shall be issued Internship Completion Certificate in Form-2 within seven working days.

(4)If performance of an intern is declared as unsatisfactory upon obtaining below fifteen marks as per Form-2 or less than fifty per cent. of marks, in an assessment in any of the Departments, he shall be required to repeat the posting in the respective department for a period of thirty percent. of the total number of days, laid down for that department in Internship Training and posting.

(5)The intern shall have the right to register his grievance in any aspect of conduct of evaluation and award of marks, separately to the concerned Head of the Department and Head of the Institution, within three days from the date of completion of his evaluation, and on receipt of such grievance, the Head of the Institution in consultation with the Head of the concerned Department shall redress and dispose of the grievance within seven working days.

**17. Leave for interns**.-(1) During compulsory rotatory internship of one year, fifteen days of leaves shall be permitted.

(ii)Any kind of absence beyond the period of fifteen days shall be extended accordingly.

**18.Completion of internship**.-(1) If there is any delay in the commencement of internship or break during internship due to unavoidable conditions, in such cases, internship period shall be completed within maximum period of twenty four months from the date of passing the qualifying examination of Fourth Final Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery and in such case, the student shall take prior permission from the Head of the institution in writing with all supporting documents thereof;

(2) It shall be the responsibility of the Head of the institution/college to scrutinise the documents, and assess the genuine nature of the request before issuing permission letter;

(3) if the student rejoins internship, he shall submit the request letter along with supporting document, in this regard to the head of institution/college.

**19. Academic calendar**: University, Institution/ College shall prepare academic calendar of a particular batch in accordance with the template of tentative academic calendar specified in Annexure II in these regulations and the same shall be circulated to students, hosted in respective websites, and followed accordingly.

**20. Tuition fee.** -Tuition fee as laid down and fixed by respective state fee regulation committee as applicable, shall be charged for four and half years study period only and no tuition fee shall be charged for extended duration of study in case of failing in examination or for any other reason and there shall not be any fee for doing internship in the same institute.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, (Homoeopathy Education Board)

[ADVT.-III/4/Exty./453/2022-23]

**Appendix A**

(See sub regulation (5) of regulation 4)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in Clause (zc) of Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), provides asunder:-

1. Physical disability-

(a) Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including-

(i) "Leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-

a) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

b) Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

c) Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly.

(ii) "Cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly afterbirth.

(iii) "Dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less.

(iv) "Muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for health of muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues.

(v) "Acid attack victim" means a person disfigured due to violent assaults by throwing acid or similar corrosive substance.

(b) Visual impairment-

(i) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-

a) Total absence of sight, or

b) Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction, or

c) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10degree.

(ii) "Low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:-

a) Visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 up to 3/60 or up to 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

b) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

(c) Hearing impairment-

(i) "Deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(ii) "Hard of hearing" means person having 60 DB hearing loss in speech frequencies in both ears,

(d) "Speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes;

(e) Intellectual disability a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in a dative behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including-

(i) "Specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia.

(ii) "Autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviors.

2. "Mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviors, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person,

3. Disability caused due to-

(a) Chronic neurological conditions, such as-

(i) "Multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

(ii) "Parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder-

(i) "Hemophilia" means an inherited disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding,

(ii) "Thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absence of haemoglobin.

(iii) "Sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anaemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage "Hemolytic" refers to the destruction of cell membrane of

red blood cells resulting in the release of hemoglobin,

4. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf, blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

5. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

**Appendix B**

**(See sub-regulation (5) of regulation 4)**

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(1) The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) The extent of "specified disability" of a person shall be assessed in accordance with the guidelines published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4th January, 2018under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(3) The minimum degree of disability should be forty percent. (Benchmark disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

(4) The term 'Persons with Disabilities' (PwD) shall be used instead of the term 'Physically Handicapped'(PH)

TABLE 18

| Serial Number | Disability Category | Type of Disabilities | Specified Disability | Disability Range | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (5) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | Eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course, Not Eligible for | Eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course, Eligible for Persons with Disabilities Quota | Not Eligible for Course |
| | | | | Persons with Disabilities Quota | | |
| 1. | Physical Disability | (A) Locomotor disability, including specified disabilities (a to f). | (a) Leprosy cured person* | Less than 40% disability | 40-80% disability- Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their function of incompetency will the aid of assistive devices, if it is being used, to see if its is brought below 80% | More than 80% |
| | | | (b)Cerebral Palsy** | | | |
| | | | (c) Dwarfism | | | |
| | | | (d)Muscular Dystrophy | | | |
| | | | (e) Acid attack victims | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (f)Other*<br>** such as Amputation, Poliomyelitis, etc. | | and whether they possess sufficient motor, ability as required to pursue and complete the Course satisfactorily. | |
| | | | * Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.<br>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.<br>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course. | | | |
| | | (B) Visual Impairment(*) | (a) Blindness<br>(b) Low vision | Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)' I(20%)' & II (30%) | | Equal to or more than 40% disability (i.e. Category III and above) |
| | | (C) Hearing Impairment@ | (a) Deaf<br>(b) Hard of hearing | Less than 40% disability | | Equal to or more than 40% disability |
| | | | (*) Persons with visual impairment/ visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier.<br>@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices.<br>In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%. | | | |
| | | (D) Speech & language | Organic/neurological causes | Less than 40% | | Equal toor more than |
| | | disability | | disability | | 40% disability |

| | | |
|---|---|---|
| | | For admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course.<br>Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course but beyond that they will neither be eligible to pursue the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course nor will they have any reservation. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Intellectual disability | | (a) Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia &Developmental aphasia)# | # Currently there is no quantification scale available to assess the severity of SLD; therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed. | | |
| | | | | Less than 40% disability | Equal to or more than 40% disability but selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the expert panel. | |
| | | | (b) Autism spectrum disorders | Absence or Mild Disability, Asperser syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course by an expert panel | Currently, not recommended due to lack of objective method.<br>However, the benefit of reservation/quot a may be considered in future after developing better methods of disability assessment. | Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/ or if the person is deemed unfit for pursuing Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course by an expert panel. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Mental Behaviour | | Mental illness | Absence or mild disability: less than 40% (under IDEAS) | Currently, not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness.<br>However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment. | Equal to or more than disability or if the person |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Disability caused due to | (a) Chronic neurological conditions | (i) Multiple Sclerosis<br>(ii) Parkinsonism | Less than 40% disability | 40%80% disability | More than 80% disability |
| | | (b) Blood disorders | (i) Hemophilia<br>(ii) Thalassemia<br>(iii)Sickle cell disease | Less than 40% disability | 40%80% disability | More than 80% disability |
| 5. | Multiple disabilities including deafness blindness | | More than one of the above specified disabilities | Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely , visual, hearing, speech &language disability, intellectual disability, and mental illness as a component of multiple disabilities.<br>Combining formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India:<br>$\frac{a+b\ (90-a)}{90}$<br>(where a=higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended<br>for computing the disability ar when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual | | |

**Note:** For selection under PwD category, candidate shall be required to produce Disability Certificate before his scheduled date of counsellingissued by the disability assessment boards as designated by concerned authority of Government of India.

**Note:** 2- if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.

**Annexure -I**

**Foundation Programme**

[See clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7]

**BACKGROUND**

Homoeopathic medical education in India requires orientation of the new entrants to a basic philosophical orientation, a need to think in an integrated and holistic manner, an ability to function in a team at the bedside and a capacity to invest in a life-long learning pattern. Homoeopathy, though more than 225 years old, is relatively young as a scientific discipline and has attracted several negative community exposure due to a variety of reasons. In India, we are aware that the students who enter the portals of a homoeopathic college rarely do so out of their volition. It is often an exercise as the last choice or one which is adopted as a stepping stone to a 'medical' degree. Hence, the mind-set of the new entrants is rarely informed, positive, and self-affirming.

However, we know that like all medical disciplines, homoeopathy training includes a wide spectrum of domains that involves exposure to human interactions and interpersonal relationships in various settings including hospital, community, clinics etc. The training is intense and demands great commitment, resilience and lifelong learning. It is desirable to create a period of acclimatization and familiarization to the new environment. This would include an introduction to the course structure, learning methods, technology usage, and peer interactions which would facilitate their smooth transition from junior college to homoeopathic college.

This is planned to be achieved through a dedicated 10 days exclusive "Foundation Programme", at the beginning of the BHMS course to orient and sensitize the students to various identified areas.

Goals and Objectives

Broad goals of the Foundation Programme in Homoeopathy include:

1. Orienting the students to various aspects of homoeopathic system of medicine;
2. Creating in them the conscious awareness of the 'Mission' as defined by Master Hahnemann;
3. Equipping them with certain basic, but important skills required for going through this professional course and taking care of patients;
4. Enhancing their communication, language, computer and learning skills;
5. Providing an opportunity for peer and faculty interactions and introducing an orientation to various learning methodologies.

Objectives

(a) The Objectives of the Foundation Programme are to:

Orient the learners to:

(i) The medical profession and the mission of a homoeopath in society

(ii) The BHMS Course

(iii) Vision and Mission of the institute

(iv) Concept of holistic and positive health and ways to acquire and maintain it

(v) History of Medicine and Homoeopathy and the status of Homoeopathy in the world

(vi) Medical ethics, attitudes and professionalism

(vii) Different health systems available in the country

(viii) Health care system and its delivery

(ix) National health priorities and policies

(x) Principles of primary care (general and community-based care)

(xi) Concept of mentorship programme

(b) Enable the learners to appreciate the need to enhance skills in:

(i) Language

(ii) Observation, documentation& understanding of basic medical technologies

(iii) Interpersonal relationships and team behavior

(iv) Communication across ages and cultures

(v) Time management

(vi) Stress management

(vii) Use of information technology

(c) Train the learners to provide:

(i) First-aid/ Emergency management

(ii) Basic life support

(iii) Universal precautions and vaccinations

(iv) Patient safety and biohazard safety

(d) Impart Language and Computer skills

(i) Local language programme

(ii) English language programme

(iii) Computer skills

These may be arranged as per the needs of the particular batch and extra coaching may be continued after the Foundation programme

Content and Methodology

The programme will be run in professional session which must be interactive.

The major components of the Foundation Programme include:

1) Orientation Program:

This includes orienting students to all the components mentioned below with special emphasis on the role of Homoeopathy and homoeopath in today's times.

2) Skills Module (Basic):

This involves skill sessions such as Basic Life Support/ Emergency Management, First aid, Universal Precautions and Biomedical Waste and Safety Management that students need to be trained prior to entering the patient care areas.

3) Field visits to Community and Primary Health Centre:

These visits provide orientation to the care delivery through community and primary health centres, and include interaction with health care workers, patients and their families.

4) Professional development including Ethics:

This is an introduction to the concept of Professionalism and Ethics and is closely related to Hahnemann's emphasis on the conduct of a physician. This component will provide students with understanding that clinical competence, communication skills and sound ethical principles are the foundation of professionalism. It will also provide understanding of the consequences of unethical and unprofessional behavior, value of honesty, integrity and respect in all interactions. Professional attributes such as accountability, altruism, pursuit of excellence, empathy, compassion and humanism will be addressed. It should inculcate respect and sensitivity for gender, background, culture, regional and language diversities. It should also include respect towards the differently abled persons. It introduces the students to the basic concept of compassionate care and functioning as a part of a health care team. It sensitizes students to "learning" as a behavior and to the appropriate methods of learning.

5) Enhancement of Language / Computer skills / Learning skills:

These are sessions to provide opportunity for the students from diverse background and language competence to undergo training for speaking and writing English, fluency in local language and basic computer skills. The students should be sensitized to various learning methodologies such as small group discussions, skills lab, simulations, documentation and concept of Self-Directed learning.

**Structure of the program for students**

| Table 19: Foundation Programme | | | |
|---|---|---|---|
| **Serial Number** | **Topic** | **Type of activity** | **Duration hours** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Welcome and Introduction to Vision/ Mission of the Institute | Lecture | 1 |
| 2. | Mission and role of Homoeopathy and a Homoeopath in society including showcasing effects of Homoeopathy | Interactive discussion | 3 |
| 3. | BHMS Course of study and introducing to first year faculty | Presentation | 1 |
| 4. | Visit to institution / campus / facilities | Walking tour | 2 |
| 5. | Concept of Holistic and Positive health | Interactive discussion | 2 |
| 6. | History of Medicine and Homoeopathy and state of Homoeopathy in the world | Presentation | 2 |
| 7. | Adult learning principles | Interactive discussion | 2 |
| 8. | Health care system and delivery | Visit to PHC/ Urban Health Centre and interaction with staff | 3 |
| 9. | Different health care systems recognized in the country and the concept of pluralistic health care systems | Presentation | 1 |
| 10. | Primary community care | Interaction | 2 |
| 11. | Basic life support | Demonstration video and practice | 4 |
| 12. | Communication – its nature and importance in different social and professional settings | Practical with scenarios and enactment with observation | 4 |
| 13. | Medical ethics – role in enhancing patient care | Role play | 2 |
| 14. | Who is professional? | Debate between two sides on a topic | 2 |
| 15. | Time management | Practical exercise | 3 |
| 16. | First aid – principles and techniques | Demonstration and presentation | 2 |
| 17. | National health priorities and policies | Presentation | 1 |
| 18. | Importance of Mental Health and Hygiene to a medical student in the medical profession<br>Stress management including importance of sports and extracurricular activities | Practical demonstration / video | 4 |
| 19. | Concept and practice of mentoring | Interactive discussion | 4 |
| 20. | Constitutional values, equality, gender sensitization and ragging policy | Presentation and Interactive discussion | 3 |
| 21. | Universal precautions and vaccinations | Presentation followed by discussion | 1 |
| 22. | Importance of Observation and Documentation in Homoeopathic practice | Practice exercise through video observation | 4 |
| 23. | Team working | Game and debriefing | 2 |
| 24. | Patient safety and biomedical hazards | Video and presentation | 1 |
| 25. | Computer skills | Demonstration and practice of basic use of word, Excel and PPT | 2 |
| 26. | Language skills | Language labs | 2 |
| | TOTAL | | 60 |

**Annexure -II**

**PART A**

TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR

First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(18 MONTHS)

| Serial Number | DATE / PERIOD | ACADEMIC ACTIVITY |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | First working day of October | Course commencement |
| 2. | 10 working days | Foundation Programme |
| 3 | First periodic assessment | January- Internal Assessment (PA-1) |
| 4. | Fourth Week of March | First Terminal Test -Internal Assessment (TT-1) |
| 5 | Second periodic assessment | June -Internal Assessment (PA-2) |
| 6. | First week of September | Second Terminal Test -Internal Assessment (TT-2) |
| 7. | Third periodic assessment | November – Internal Assessment – (PA-3) |
| 8. | Second week of February to March | University Examination |
| 9. | *First Working Day of April* | *Start of second professional year* |
| | NOTE.-<br>1. University / Institution / College shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students and displayed in respective websites.<br>2. Institution/College established in Extreme Weather Conditions may adjust the timings as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.<br>3. Academic calendar may be modified according to directions of National Commission for Homoeopathy issued from time to time. | |

**PART-B**

TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR

Second/Third/ Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(12 MONTHS)

| **Serial Number** | **DATE /PERIOD** | **ACADEMIC ACTIVITY** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | First working day of April | Course commencement |
| 2. | Fourth week of July | First periodic - Internal Assessment (PT-1) |
| 3. | Fourth week of September | First terminal examination- Internal Assessment (TT-1) |
| 4. | Fourth week of December | Second periodic - Internal Assessment (PT-2) |
| 5. | Third week of February | University Examination |
| 6. | *First Working day of April* | *Commencement of third/fourth/internship professional year* |

| | |
|---|---|
| | NOTE. -<br>1. University/ Institution / College shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students and displayed in respective websites.<br>2. Institution / College established in Extreme Weather Condition may adjust the timing as required by maintaining the stipulated hour of teaching and however, the structure of academic calendar shall not be altered<br>3. Academic calendar may be modified according to directions of National Commission for Homoeopathy issued from time to time. |

**Annexure-III**

GUIDELINES FOR ATTENDANCE MAINTENANCE
(THEORY/PRACTICAL/CLINICAL/NON-LECTURE HOURS)

Institutes/colleges offering education in Homoeopathy are recommended to maintain online attendance system. However, in case physical registers are being maintained for recording attendance of various teaching/training activities, the following guidelines are to be followed:

(1) Attendance is to be marked in cumulative numbering fashion:

(a) In case presence, it is to be marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6……soon;

(b) In case of absence, it must be marked as 'A';

(c) Example: P PPP A P P AA P P P…. may be marked as (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8,9…).

(2) Avoid strictly marking 'P' for presence.

(3) Separate register for theory and practical/clinical/non-lecture activities are to be maintained.

(4) At the end of term or course or part of syllabus, the last number to be taken as total attendance.

(5) The total attendance after student's signature is to be certified by respective Head of department (HOD) followed by approval by Principal.

(6) In case of multiple terms, at the end of course all term attendance is to be summarised and percentage is to be calculated separately for theory and practical including clinical & non-lecture hours.

[Note : *lf any discrepancy is found between Hindi and English version, the English version will be treated as final.]

**FORM 1**

[See sub- regulation (2) and (3) of regulation 16]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

BACHELOR OF HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY (B.H.M.S) COURSE

DEPARTMENT OF----------

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND ASSESSMENT OF INTERNSHIP

(1) Name of the Intern :

(2) Attendance during internship

Period of training From----------to----------

(a) Number of working days :

(b) Number of days attended :

(c) Number of days leave availed :

(d) Number of days absent :

Assessment of Internship

| Serial Number | Category | Marks obtained |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | General | Maximum10 |
| (a) | Responsibility and Punctuality | (_____)outof2 |
| (b) | Behavior with sub-ordinates, colleagues and superiors | (_____)outof2 |
| (c) | Documentation ability | (_____)outof2 |
| (d) | Character and conduct | (_____)outof2 |
| (e) | Aptitude for research | (_____)outof2 |
| 2. | Clinical | Maximum20 |
| (a) | Proficiency in fundamentals of subject | (_____)outof4 |
| (b) | Bedside manners &rapport with patient | (_____)outof4 |
| (c) | Clinical acumen and competency as acquired | (_____)outof4 |
| | (i) By performing procedures | |
| | (ii)By assisting in procedures | (_____)outof4 |
| | (iii) By observing procedures | (_____)outof4 |
| Total Score obtained | | (_____)out of30 |

Performance Grade of marks

Poor < 8, Below average 9-14, Average 15-21, Good 22-25, Excellent 26 and above

Note: An intern obtained unsatisfactory score (below 15) shall be required to repeat one third of the total period of posting in the concerned department.

Date:

Place:

Signature of the Intern

Signature of the Head of the Department and Office Seal

**FORM 2**

[See sub-regulations (3) and (4) of regulation 16]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

(BACHELOR OF HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY – (B.H.M.S)) COURSE CERTIFICATE OF COMPLETION OF COMPULSORY ROTATORY INTERNSHIP

This is to certify that _____(name of the intern) an intern of ,_____(name of the college and address), has completed his/her Compulsory Rotatory Internship at the _____ ( Name of college, address and place of posting) for one year _____ to _____ in following departments.

**TABLE 20**

| Serial Number. | Name of the Department | Period of training (From) (dd/mm/yyyy) | Period of training (to) (dd/mm/yyyy) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

During the internship period, the conduct of the student is_____

Date:

Place:

Signature of the Internship in charge / Principal/Dean/Director with Office seal

**Form-3**

{See sub – regulation (4) and (7) of regulation 13}

Migration of Mr. / Miss _____ from _____ Homoeopathic Medical College _____ to _____ Homoeopathic Medical College _____

1. Date of admission in First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course
2. Date of passing First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) University examination
3. Date of application
4. Number objection certificate from relieving college (enclosed) – Yes/No
5. Number objection certificate from relieving University (enclosed) – Yes/No
6. Number objection certificate from receiving college (enclosed) – Yes/No
7. Number objection certificate from receiving University (enclosed) – Yes/No
8. Number objection certificate from State Government wherein the relieving college is located – Yes/ No
9. Affidavit, duly sworn before First Class Magistrate containing an undertaking that "I will study for full twelve months in existing class of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course in transferred Homoeopathic Medical College before appearing in the IInd Professional University examination" (enclosed) – Yes/No
10. Reasons for migration in brief (please enclose copy of proof) – Yes/No
11. Permanent address: _____".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.